जीवन परिचय

चौधरी चरण सिंह : जन्म– गांव नूरपुर, जिला–गाजियाबाद, 23 दिसम्बर, 1902, शिक्षा–मेरठ और आगरा; कांग्रेस से सम्बद्ध 1929–67; वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 1930–1935; सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा 1937–1939 और 1946–77; संसदीय सचिव उत्तर प्रदेश 1946–51; विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश विधान सभा 1971–77; संस्थापक नेता भारतीय क्रांतिदल 1967, भारतीय लोकदल 1974, जनता पार्टी 1977, और लोकदल सितम्बर 1979; मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार 1951–67, सत्रह महीने की अवधि को छोड़कर; मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश अप्रैल 1967, फरवरी 1968 और फरवरी 1970 से अक्टूबर 1970; केन्द्रीय गृह मंत्री मार्च 1977 से जून 1978; उप–प्रधान मंत्री और केन्द्रीय वित्त मंत्री जनवरी 1979 से जुलाई 1979; प्रधान मंत्री जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक। प्रकाशनः एबोलिशन ऑफ जमींदारी, कोआपरेटिव फार्मिंग एक्सरेड जिसका इंडियाज पावर्टी एंड इट्स सोल्यूशन के नाम से संशोधित रूप में प्रकाशन किया गया है, एग्रेरियन रेवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश, इकोनॉमिक नाइटमेअर ऑफ इंडिया : इट्स कॉज एण्ड क्योर, इंडिया'ज इकोनॉमिक पालिसी : दि गांधियन ब्ल्यूप्रिंट, इत्यादि; मृत्यु 29 मई 1987।

पतिलेख के मुख्य विषय

प्रारम्भिक जीवन तथा आर्य समाज का प्रभाव; गाजियाबाद प्रवास के दौरान गतिविधियां; त्यागी जाति का राजनीति में प्रभाव; सन् 1937 और 1946 के चुनाव; भारत छोड़ो आन्दोलन; स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की स्थिति; सन् 1937 की कांग्रेस सरकार की नीति पर एक टिप्पणी ; 'लैण्ड सिलिंग' यू0पी0 शासन तंत्र तथा मंत्री; आचार्य नरेन्द्र देव, रफी अहमद किदवई, सरदार पटेल, गोविन्द बल्लभ पन्त तथा अन्य नेताओं से सम्बंधित संस्मरण।

नेहरू संग्रहालय तथा पुस्तकालय
मौखिक इतिहास इन्टरव्यू
चौधरी चरण सिंह
लखनऊ 10 फरवरी 1972
श्री श्यामलाल मनचन्दा द्वारा

श्यामलाल मनचन्दा : *चौधरी साहब, क्या आप यह बतायेंगे कि आपकी शुरू की जिन्दगी में आप पर कौन–कौन से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रभाव पड़े ?*

चरण सिंह : जहां तक सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र की बात है, उस समय के सामाजिक जीवन आर आर्यसमाज की शिक्षाओं का मेरे ऊपर बहत प्रभाव पड़ा। जहां तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है तो सबसे पहले देश की दुर्दशा या दासता की तरफ मेरा ध्यान गया। उस जमाने में, यानी 1918–19 में, मैंने मैथिलीशरण गुप्त की लिखी हुई पुस्तक *'भारत भारती''* पढ़ी। उससे मेरी पीढ़ी के बहुत से लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हुई। जब हम दसवीं कक्षा में पढ़ते थे तब गांधी जी का आन्दोलन शुरू हो गया। 30 मार्च 1919 को दिल्ली में गोली चली। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग की घटना भी हुई, बस इन्हीं राजनीतिक घटनाओं के **असरात**[1] मेरे जीवन पर हुए।

मनचन्दा : *स्वदेशी कपड़ा पहनने का स्वामी दयानन्द के जमाने से ही प्रचार किया जा रहा था, गांधी जी तो बाद में आये और उन्होंने स्वदेशी का प्रचार किया, क्या इसका असर गांधी जी के आने के पहले से था?*

चरण सिंह : अपने देश की बनी चीजें इस्तमाल होनी चाहिए, यह तो स्वामी जी की शिक्षाओं में था ही लेकिन बाकायदा एक 'मास प्रोग्राम' के रूप में इसे गांधी जी ने शरू किया। स्वामी जी को तो उसका अवसर नहीं मिला। जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, मेरे ऊपर तो दोनों का असर साथ–साथ ही हुआ। उस समय मेरी उम्र पन्द्रह–सोलह साल की थी।

मनचन्दा : *जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमी यू.पी., पंजाब और हरियाणा में आर्यसमाज का काफी प्रभाव था, तो क्या आर्यसमाज के धार्मिक प्रभाव के अलावा उसके राष्ट्रवादी रूप का भी आप पर प्रभाव पड़ा?*

चरण सिंह : आर्यसमाजी तो राष्टवादी होते ही थे, क्योंकि आर्यसमाज हमें पुराने जमाने की 'अचीवमैन्ट्स' पर अभिमान करना सिखाता है। राष्ट्रवाद का आधार तो आर्यसमाज ने दिया, इसमें कोई शक नहीं। वैसे मेरे माता–पिता तो अशिक्षित किसान थे और आर्यसमाजी भी नहीं थे, लेकिन आर्यसमाज का प्रभाव तो सारे माहौल में था। मसलन मुझे याद है कि उस वक्त एक छोटी सी भजनों की पुस्तक थी, जिसमें शराब और मांस के खिलाफ प्रचार था, तो उसका भी मुझ पर असर पड़ा। हमारे एक 'अंकल' फौज में थे, वह रिटायर हो गये थे, मैंने बचपन में उनके पास **'सत्यार्थ प्रकाश'** देखी। उसको मैं बहुत तो नहीं समझता था, लेकिन इस तरह से आर्यसमाज का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर तो पड़ता ही रहा।

मनचन्दा : *आर्यसमाज का आपके जीवन में क्या योगदान रहा ?*

चरण सिंह : मैं जब गाजियाबाद में वकालत करता था, तो कांग्रेस के साथ आर्यसमाज का भी कार्यकर्ता था। मैं 1930 से लेकर 1939 तक आर्यसमाज का आफिस–बेअरर रहा।

मनचन्दा : *इस दौरान आपने क्या–क्या कार्य किये ?*

चरण सिंह : आर्यसमाज के और स्वामीजी के जो विचार थे, वे ही मेरे विचार हो गये। गाजियाबाद में मैंने वकालत की। गाजियाबाद के आर्यसमाज में मैं बराबर जनरल सेक्रेटरी और अध्यक्ष रहा। वहां जलसे वगैरह कराता रहा। मैं आर्यसमाज का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं था, मैं तो वकालत करता था और साथ–साथ कांग्रेस का भी काम करता था। जब गांधी जी ने 1932 में कम्युनल अवार्ड, जो हरिजनों को हिन्दुओं से अलहदा कर रहा था, के खिलाफ अनशन किया तो हमने वहाँ सब हरिजनों का सहभोज कराया और उन्हें दूसरे लोगों के साथ कुओं पर चढ़ाया। यह एक ऐसी चीज थी जिसे आर्यसमाज का काम कह लीजिए या कांग्रेस का। तो इन दोनों के सामाजिक कार्यक्रम में कोई अन्तर नहीं था।

मनचन्दा : *चौधरी साहब, उस वक्त दो प्रोग्राम चल रहे थे, आर्यसमाज की तरफ से शुद्धि प्रोग्राम था, जो कि स्वामी श्रद्धानन्द जी ने दिल्ली में शुरू किया था और एक मुलसमानों का कार्यक्रम था, जिसे तबलीग कहते हैं, तो क्या उसका भी असर हुआ ?*

चरण सिंह : यह तो बहुत पहले की बात है। उन दिनों मैं आगरा कालेज में पढ़ता था। सन् 1919 से लेकर 1925 तक यह सब हुआ। स्वामी श्रद्धानन्द जी का तो 23 दिसम्बर 1926 में कत्ल हो गया था। उन्होंने जो आन्दोलन चलाया था, वह 1922 में चलाया था और आगरा से शुरू किया था। वहाँ मलकाना राजपूत थे। सबसे पहले स्वामीजी ने वहां शुद्धि की। हमारा इन चीजों से कोई वास्ता नहीं था।

मनचन्दा : *आपने बताया कि 30 मार्च 1919 को दिल्ली में गोली चली। जब गांधी जी पहुंचने वाले थे, तो 9 अप्रैल को उन्हें पलवल में पकड़ लिया। उस वक्त आप विद्यार्थी थे, उस जमाने में क्योंकि आप नौजवान थे, तो आप पर इसका क्या असर हुआ ?*

चरण सिंह : हम समझते थे कि महात्मा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें भी कांग्रेस का सदस्य हो जाना चाहिए लेकिन हम सदस्य के रूप में कोई सक्रिय काम नहीं कर सकते थे।

मनचन्दा : *आपने किस साल से कांग्रेस में सक्रिय काम करना शुरू किया ?*

चरण सिंह : मैं 1928 से 1939 तक गाजियाबाद में रहा। मैंने सिविल साइड में वकालत की। उसके एक साल बाद ही 1929 में हमने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी कायम की।

मनचन्दा : *जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई, लेकिन यह कहा जाता है कि उस खबर को हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में पहुंचने से रोका गया था, आपको यह खबर किस समय मिली?*

चरण सिंह : अब इतना मुझे याद नहीं, दो–चार दिन बाद ही मिली होगी।

मनचन्दा : *पर यह कहा जाता है कि चार–पांच महीने लग गये थे, लोगों को वह खबर नहीं मिली थी ?*

चरण सिंह : नहीं–नहीं ऐसा नहीं था। यह गलत है, यह खबर क्या छिप सकती थी ? मैं उस वक्त **दसवीं का इम्तहान** दे रहा था, जब जलियांवाला बाग में गोली चली थी। उसके बाद मैं आगरा कॉलेज में पढ़ने चला गया। आन्दोलन चलता रहा। आगरा कॉलेज से हमने पढ़ाई नहीं छोड़ी।

मनचन्दा : *सन् 1930 के सत्याग्रह में आपने भाग लिया, तो क्या उसके बारे में आप कुछ बतायेंगे?*

चरण सिंह : महात्मा जी ने जब दांडी यात्रा की तो हमारे मेरठ के जो प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, वह नमक बनाने के लिए गाजियाबाद आये थे। गाजियाबाद के पास एक इलाका है, लोनी। कहा यह जाता है कि पहले वहां लवण बनता था, इस वजह से उसका नाम लोनी हो गया। वहां की जमीन ही ऐसी है। उन दिनों मैं गाजियाबाद में वकालत करता था, साथ ही गाजियाबाद की शहर कांग्रेस कमेटी का एक आफिस–बेअरर था। उस वक्त हम लोग भी वहां गये, इसलिए गिरफ्तार हो गये और हमें मेरठ जेल में डाल दिया गया।

मनचन्दा : *पहली दफा आप 1937 में चुनाव में खड़े हुए, तो आप यह बतायेंगे कि उस वक्त कौन सी ऐसी ''पॉलिटीकल फोर्सेस'' थीं, जो यू.पी. की राजनीति में प्रवेश कर चुकी थीं और उनका क्या असर था; खासतौर से आप अपने चुनाव के बारे में कुछ बतायेंगे ?*

चरण सिंह : जमींदारों की एक पार्टी थी नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी, उसने ही कांग्रेस से मुकाबला किया था, बाकी कोई पार्टी नहीं थी। और मै ठीक तरह से नहीं कह सकता। मेरे खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े हुए थे, वह उसी पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे। वह भी एकदम जल्दबाजी में संगठित की गई थी, बाकी उनका कोई संगठन मेरठ में था या नहीं था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसका कोई खास विरोध नहीं हो पाया। मुसलिम लीग का जो कुछ रहा होगा, पूर्वी जिलों में रहा होगा। मेरे ख्याल से मुसलिम लीग इस चुनाव में ''प्रोमिनेंट'' नहीं थी, उसके बाद ही हुई।

मनचन्दा : *मैं आपको फिर पीछे ले जाता हूँ। जिला राजनीति में जाति और धर्म वगैरह की बड़ी प्रमुख भूमिका होती है। आप मेरठ के रहने वाले हैं, कहा जाता है कि वहां एक जाति है, त्यागी। वहां से जो नेता थे, रघुवीर सिंह त्यागी, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं ?*

चरण सिंह : त्यागी जाति के लोग हमारे यहां बहुत थोड़े हैं। ''एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज'' मे करीब–करीब सबसे छोटी है यह कम्युनिटी। यह कहना कि लीडरशिप पहले त्यागियों की थी और मेरी वजह से जाटा की हो गई, ऐसी बात नहीं थी। रघुवीर सिंह त्यागी बुजुर्ग थे और हमारे यहां के सबसे बड़े जमींदार वही थे। बल्कि यहां तो उनकी जमींदारी कम थी, बिजनौर में उनक बहुत गांव थे। वह कांग्रेस में थे पर क्योंकि त्यागी थे, तो यह कहा जाने लगा कि त्यागी लोगों की लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वह जो कुछ थे अपने हक से थे, त्यागी होने की वजह से नहीं थे। हिन्दू आमतौर से संकीर्ण विचारों के होत हैं, वह भी उससे ऊपर नहों थे, लेकिन यहां के सामाजिक,आर्थिक या राजनीतिक जीवन में त्यागियों का एक त्यागी के रूप में ''प्रिडामिनेन्स'' कभी रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने किसी को नहीं हटाया।

मैं एक मामूली किसान के घर पैदा हुआ था। मैंने ''लॉ'' किया और फिर ''प्रैक्टिस'' की, उससे आदमी को काफी अनुभव हो जाता है, दिमाग की ट्रेनिंग भी हो जाती है। क्योंकि मैं कांग्रस का काम करने वाला था, अतः जेल भी गया। तो जब ''मास पॉलिटिक्स'' शुरू हुई तो लीडरशिप ''मास वर्कर'' के पास ही जानी थी। त्यागी साहब ''मास वर्कर'' तो नहीं थे, वह तो जमींदार थे। जमींदार होने की वजह से ''एरीस्टोक्रेटिक सर्कल'' में उनकी इज्जत थी।

मनचन्दा : *इसका मतलब यह हुआ कि जब गांधी जी राष्ट्रीय आन्दोलन में आये और राष्टीय आन्दोलन जनता तक पहुंचा, तब त्यागी जी की लीडरशिप अपने आप खत्म हो गई ?*

चरण सिंह : बस यही हुआ।

मनचन्दा : *क्योंकि पहले जो सिलसिला बना हुआ था कि नेता एक अमीर हो, जमींदार हो, उसके पीछे रैयत हो, वह सिलसिला खत्म हो गया ?*

चरण सिंह : हॉ, इसमें कोई बिरादरी की बात नहीं थी। महात्मा जी के राष्ट्रवाद की अपील तो हर तबके को थी। रियासतों और जमींदारों को भी थी। लेकिन जैसे ही धीरे–धीरे जन राजनीति होती चली गई तो वे धीरे–धीरे अपने आप हट़ते चले गये। मैं आपको सच्चाई बता दूं कि मेरे खिलाफ हमेशा यह इल्जाम रहता है और सब लोग बात करते वक्त कहते हैं कि चरण सिंह अच्छे आदमी हैं, लोकप्रिय भी हैं, लेकिन जाटों से पक्षपात करते हैं, ''दिस इज़ ॲब्सर्ड''। यह हिन्दू समाज की बदकिस्मती है कि अगर आप किसी के खलाफ कुछ नहीं कह सकते हो, तो सम्प्रदायवादी होने का इल्जाम लगा दो और हर कोई उस पर विश्वास भी कर लेगा।

मनचन्दा : *सन् 1946 में भी आपने चुनाव लड़ा था, उस वक्त तक आप काफी पुराने कांग्रेसी हो चुके थे, तो क्या उस वक्त के कुछ वाकियात आप बतायेंगे ?*

चरण सिंह : उस वक्त के वाकियात क्या बताऊं ! मैं अपने चुनाव क्षेत्र में तो गया नहीं। हमारे यहां उस वक्त खुदाई खिदमतगार आये हुए थे। हमने कांग्रेस की तरफ से एक मुसलमान, चौधरी लुत्फ अली खां को खड़ा किया था। वह अच्छे कांग्रेसी थे और मुसलिम लीग से उनकी लड़ाई थी। प्रथम चुनाव प्रणाली थी, मुसलिम चनाव क्षेत्र में लोगों को समझाने के लिए खुदाई खिदमतगारों का एक जत्था आया हुआ था। मैं तो उनको मुसलिम हलकों में घुमाता रहा। जहां तक हिन्दू उम्मीदवारों का सवाल था, तो कहीं आने–जाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं पुराना हो ही चुका था और 1942 में मैंने काफी ''रिस्क'' लिया था। वैसे कांग्रेस की तरफ से जो भी खड़ा होता था, उसके हारने का सवाल ही नहीं था। फिर मैं तो कुछ सक्रिय काम कर चुका था, वकालत करता था। मेरे जानने वालों की भी और आम लोगों की भी राय मेरे बारे में हर ़तरीके से अच्छी थी। मेरठ में कांग्रेस की बागडोर मेरे ही हाथ में थी, जिसको हमने खड़ा कर दिया, वही जीतकर आ गया।

मनचन्दा : *चौधरी साहब, क्या यह कहना ठीक है कि कांग्रेस और लीग में 1937 में कुछ ''अंडरस्टेंडिंग'' थी, आपको उसके बारे में कुछ ज्ञान है ?*

चरण सिंह : मुझे ''वेग इंप्रेशन'' है कि जिन्ना साहब की और जवाहरलाल जी की बात व्यक्तिगत स्तर पर हो गई थी, इसलिए मुसलिम लीग बढ़ती चली गई। जिन्ना से उस वक्त फैसला हो सकता था लेकिन वह टूट गया। धीरे–धीरे बात बढ़ती चली गई। जिन्ना 1920 से पहले एक प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता थे, लेकिन जब गांधीजी ने खिलाफत आन्दोलन को एक राजनीतिक रूप दिया और कांग्रेस का एक प्रोग्राम माना, तो जिन्ना ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे मुसलिम सम्प्रदाय के लोगों में साम्प्रदायिकता की भावना बढ़ेगी। इसी बात पर उन्होंने 1920 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया **था**[1]। लेकिन जैसा विधि को मन्जूर था, पाकिस्तान बना और वह पाकिस्तान के जन्मदाता कहलाये। तो नेहरू जी आदमी को ''हैण्डिल'' करना नहीं जानते थे, जैसे सरदार पटेल और गांधी जी जानते थे। बस धीरे–धीरे दरार बढ़ती चली गई। ये हमारा एक ''जनरल इम्प्रेशन'' था। परन्तु अन्दर की बातों का कुछ मालूम नहीं।

मनचन्दा : *''भारत छोड़ो आन्दोलन'' के बारे में आप कुछ बताइये; क्या आपने उसमें हिस्सा लिया?*

चरण सिंह : हाँ, मैंने उसमें हिस्सा लिया। 9 अगस्त को आन्दोलन शुरू हुआ। गालिबन 2 अगस्त को हमने नेहरू जी को अपने यहां बुलाया हुआ था। मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसीडेंट था।

मनचन्दा : *मेरठ में ?*

चरण सिंह : हॉ, मेरठ में शहर में उनकी मीटिंग हुई, देहात में भी एक–दो मीटिंगें हुईं। मैंने उनसे पूछा कि बतलाइए कि क्या होने वाला है और यह आन्दोलन कैसे चलेगा। वह हमें कुछ नही बता सके, उन्होंने कोई सलाह नहीं दी। 8 अगस्त 1942 के दिन बम्बई में मीटिंग हुई। हमें लग रहा था कि आन्दोलन चलने वाला है, तो हमने कुछ साथियों से कह दिया था कि भई, फलां–फलां जगह आप लोग जाओ और फलां–फलां को यह जिम्मेदारी होगी। मैं भी गाजियाबाद चला गया। वहीं हमें मालूम हो गया कि नेता गिरफ्तार हो गये हैं। फिर तो मैं खुलेआम सात–आठ दिन तक मीटिंग ''एड्रेस'' करता रहा। फिर हम चोरी–छिपे मीटिंगें करते रहे, क्योंकि पुलिस हमारे पीछे थी और कम से कम दो–तीन बार ऐसा हुआ कि पुलिस मौजूद तो थी लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया की वजह से मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर सकी। यह जरूर था कि मैं जहां जाता रहा, जिनके यहां खाना खाता रहा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके यहां अहाते में मीटिंग हो गई, भाषण हुआ, तो चाहे वह मुखिया हो या नम्बरदार, उसका लाइसेंस जब्त हा जाता था। बाद में तो सुनते हैं, मुझे ठीक मालूम नहीं है, कि ''शूट एट साइट'' का ऑर्डर हो गया था। फिर हमें बहुत लोगों ने सलाह दी कि आप स्वयं गिरफ्तार हो जाएं। करीब ढाई महीने बाद मैं अपने मकान पर पहुंच गया और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। उन दिनो मैंने एक प्रोग्राम अपने लोगों में अपनी तरफ से तकसीम करा दिया था। ऊपर से तो कुछ आया ही नहीं था, मेरे सब साथियों को जिले भर में यह लगा कि ये ए.आई.सी.सी. का प्रोग्राम है, क्योंकि इत्तिफाक से इसमें और उसमें बड़ी समानता थी, और तो कोई खास बात नहीं है। जिले में काफी काम हुआ।

---

1. जिन्ना नागपुर कांग्रेस 1920 में थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, पर खिलाफत के मुद्दे पर नहीं।

मनचन्दा : *आपने कहा कि आपने अपनी तरफ से एक प्रोग्राम पेश किया; वह प्रोग्राम क्या था, उसके बारे में कुछ विस्तार से बतायेंगे ?*

चरण सिंह : अब तो याद नहीं रहा।

मनचन्दा : *नहीं, खासतौर से हिंसा या अहिंसा के बारे में....?*

चरण सिंह : हमारे कार्यक्रम में हिंसा नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुईं जो हिंसा की तरफ ले गईं। वह हिंसा सरकार की तरफ से ही शुरू हुई। मैंने उस समय लोगों को अपनी तरफ से एक प्रोग्राम दिया, अब मुझे वह याद तो नहीं है, लेकिन उसे मेरे साथियों ने और आम लोगों ने बहुत पसंद किया। जब हम जेल पहुंचे तो जेल में हमारे साथी कहने लगे कि आखिर ए. आई.सी.सी. ने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम भेजा। तब मैंने उन्हें बताया कि वह मेरा काम था, न कि ए.आई.सी.सी. का।

मनचन्दा : *यह कहा जाता है कि महात्मा जी ने 1922 में जब चौरी–चोरा की घटना हुई, तो असहयोग आन्दोलन हिंसा की वजह से स्थगित कर दिया था लेकिन 1942 के आन्दोलन में ऐसी बहुत सी वारदातें हुईं, जिनमें हिंसात्मक तरीके अपनाये गये, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है ?*

चरण सिंह : मैं तो यह समझता हूँ कि गांधी जी से पूछा जाता तो वे यही कहते कि यह ठीक नहीं हुआ लेकिन साथ ही मेरा यह भी विचार है कि महात्मा जी यह चाहते थे कि कोई उनसे कुछ न पूछे, जो कोई जैसा चाहे– वैसा करे। उनके दृष्टिकोण में एक तरह से यह बदलाव मुझे लगता था। व्यक्तिगत सत्याग्रह तक तो सब ठीक था लेकिन बाद में तो एक तरीके से उनके बहुत से साथियों से उनका मतभेद हो गया। महात्मा जी तो उस वक्त भी पूर्णतः अहिंसात्मक आन्दोलन चाहते रहे होंगे, उसी को पसंद करते रहे होंगे लेकिन जब गिरफ्तार हो गये, तो उनके लिए मार्गदर्शन का सवाल ही नहीं रह गया। अगर गांधी जी बाहर होते तो शायद इसका विरोध करते। उनके पास इत्तिला पहुंचती ही होगी, उन्होंने आँखें मूंद लीं। उन्होंने सोचा कि मुझ पर ता कोई ''मॉरल आब्लीगेशन'' नहीं है। ''आई एम नॉट ए फ्री मैन''। ऐसा मेरा विचार है ''बट दैट इज ए मिअर रीडिंग, ए फीलिंग...।

मनचन्दा : *चौधरी साहब, यह कहा जाता है कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में काफी हद तक 'भारत छोड़ो आन्दोलन' सफल रहा। वहां पर एक तरह से कांग्रेस ने हुकूमत कायम कर ली थी, उसके बारे में कुछ बताइए।*

चरण सिंह : उसमें तो जगदीश्वर निगम, आई.सी.एस. थ, वह वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। वह बड़े देशभक्त आदमी थे। उन दिनों डिग्री का ही जरा सा फर्क था। हमारे यहां एन.बी. बनर्जी, जो चीफ सेक्रेटरी हुए, 1942 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। वह उमेश चन्द्र बनर्जी, जो कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके थे, के पौत्र थे।

मनचन्दा : *कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ?*

चरण सिंह : हॉ, लोग उनको बहुत ''डाईहार्ड'' आदमी समझते थे, लेकिन वह भी एक देशभक्त आदमी थे। मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि था और वह ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि थे। निगम भी देशभक्त

अफसर थे। यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ने वहां एक तरह से अपनी हुकूमत कायम कर ली थी– ''सिंपली फोर्सेस ऑफ लॉ एण्ड ऑर्डर ओवरव्हेल्म्ड फॉर समटाईम''।

मनचन्दा : *सन् 1942 के आन्दोलन में एक वर्ग ऐसा निकला, जिसे हम ''ऑगस्टर्स'' के नाम से याद करते हैं, उसमें बहुत से नेताओं ने काम किया, उनसे आपका कभी कोई सम्बंध रहा हो ?*

चरण सिंह : नहीं, उस वक्त किसी से मेरा सम्बंध नहीं था, हम तो अकेले स्वतंत्र रूप से अपने जिले में काम कर रहे थे।

मनचन्दा : *वहां कोई ''अण्डर ग्राउण्ड'' व्यक्ति पनाह लेने आया था ?*

चरण सिंह : मेरे पास एक ही व्यक्ति पनाह लेने आया था, अभी वह व्यक्ति जिन्दा है। जगन्नाथ सिंह नाम का जौनपुर का एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे यहां आ पहुंचा। हमारे एक दोस्त वीरभद्र सिंह थे। वे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, अब वे नहीं रहे, किसी ने उसे उनके पास भेज दिया और उन्होंने उसको मेरे पास भेज दिया। वह मेरे घर पर रहा। उसने अपना नाम प्रताप सिंह रख लिया। हमने ही कहा कि आपका नाम प्रताप सिंह रहेगा। मेरे परिवार के सदस्य के तौर पर वह मेरे पास रहा। मेरे यहां पुलिस वाले भी आ जाते थे। ठाकुर लखन सिहसी.आई.डी. में डी.एस.पी. थे, वह बहुत ही देशभक्त एवं भले आदमी थे। वह मिलने के लिए आ जाते थे। वह एक अफसर थे और मैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता था। लेकिन फिर भी हमने उस व्यक्ति को पनाह दी, फिर उसको नौकरी दिलवाई। उसके खिलाफ हत्या का और डकैती का चार्ज भी था और उसके वारंट भी थे।

मनचन्दा : *चौधरी साहब, जब आप जेल में थे, तब जेल में आपके साथ* कैसा व्यवहार किया गया?

चरण सिंह : अच्छा व्यवहार हुआ। मुझे तो ''ए'' या ''बी'' क्लास मिलती थी। ''ए'' या ''बी'' क्लास हो तो फिर दुर्व्यवहार का सवाल नहीं रहता है लेकिन हमारे ''सी'' क्लास के कैदियों के साथ व्यवहार जेलर के दृष्टिकोण पर बहुत कुछ निर्भर करता था। जैसे हमारे यहां मेरठ में 1942 में जो जेलर था, वह बिल्कुल मुस्लिम लीगी दृष्टिकोण का था। वह कैदियों के साथ सख्त व्यवहार करता था। मैं उनकी पैरवी भी करता था। लेकिन मैं अलग बैरक में आर वे अलग बैरक में होते थे। कभी–कभी हमारे ''सी'' क्लास कैदी भी कुछ चीजें बाहर से ''स्मगल'' कर लेते थे। यह नियम के खिलाफ था, तो इस पर जेलर जरा सख्त व्यवहार करता था। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि हमारी जेल में कोई अन्याय नहीं हुआ। बाद में मैं बरेली सेन्ट्रल जेल में रहा। वहां भी मुझे कोई खास शिकायत नहीं थी।

मनचन्दा : *अभी आपने दो–बार मिसालें दीं कि जो हिन्दुस्तानी ब्रिटिश हुकूमत के साथ काम करते थे जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सी.आई.डी. इंस्पेक्टर आदि, ये लोग भी अंदरूनी तौर पर काफी हद तक देशभक्त थे, लेकिन उनको बाहर नौकरी के लिए दिखावा करना पड़ता था। आपका ''जनरल इंप्रेशन'' क्या है कि बहुत से लोग ऐसे थे या कुछ चुनिंदा लोग ऐसे थे ?*

चरण सिंह : मैं समझता हूँ कि बहुसंख्या ऐसे लोगों की थी, जो हमदर्दी रखते थे।

मनचन्दा : *यह हमदर्दी 1942 में थी या 1931 में भी थी, क्योंकि जैसे–जैसे वक्त गुजरता गया, तो उन्होंने यह समझना शुरू कर दिया हो कि हो सकता है आजादी मिल जाए ?*

चरण सिंह : नहीं, शुरू से थी। बात यह है कि हमसे तो बहुत से अफसर इस तरह की बातों में खुल जाते थे, लेकिन मामूली आदमी से नहीं खुलते थे। जैसे मैं 1930 में गाजियाबाद से गिरफ्तार हुआ और मरठ में मुझ पर केस चला। मुझे याद है कि गाजियाबाद में जानकी प्रसाद नाम के कोई तहसीलदार थे। वह हमारे बड़े हमदर्द थे। श्याम सिंह पाठक जिन्होंने हमें सजा दी, वह मेरठ में एस.डी.एम. थे। वह पो.सी.एस. अफसर थे। मेरे पिता थे तो एक अनपढ़ किसान, लेकिन अपने क्षेत्र के मुख्य लोगों में माने जाते थे। मेरे केस की पैरवी में पिताजी भी गये,तो उनको बुलाकर श्याम सिंह जी ने समझाया कि अपने लड़के को समझाओ। शायद वह समझते होंगे कि मेरा यह सब करना ठीक नहीं है, उन्हें लगा कि यह अपना कॅरिअर बिगाड़ रहा है, एल.एल.बी. है, इसे ''प्रैक्टिस'' करनी चाहिए। लेकिन उनकी इस सलाह के पीछे देशभक्ति की भावना थी।

मनचन्दा : *सन् 1947 में जब हिन्दुस्तान को आजादी मिली तो मुस्लिम लीग कुदरती तौर पर यू.पी. से खत्म हो गई। सन् 1948 में आचार्य नरेन्द्र देव अपने समाजवादी दल को लेकर कांग्रेस से अलहदा हो गये, तो ऐसी कौन सी चुनौतियां रह गईं थीं, जिनका यू.पी. में कांग्रेस को सामना करना पड़ा ?*

चरण सिंह : हमारी अपनी संस्था की कमजोरी के सिवाए कोई संगठित चुनौतियां नहीं रह गई थीं। जो कुछ भी विरोध था, चुनौतियां थीं, वे हमारी गलतियों की वजह से थीं। हम अपनी जनता की आशाओ की कसौटी पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे, इसलिए उन्होंने चुनाव में हमारा विरोध किया।

मनचन्दा : *चुनौतियों से मेरा मतलब यह है कि कांग्रेस ने जो प्रस्ताव आजादी से पहले पास किये थे, उनका मुद्दा यह था कि कांग्रेस एक ''वैलफेयर स्टेट'' के लिए काम करेगी, तो क्या आप लोग उसको कार्यान्वित करने के लिए एकजुट होकर लग गये या कांग्रेस में आपसी विरोध शुरू हो गया ?*

चरण सिंह : आप ठीक कह रहे हैं कि आपसी विरोध शुरू हो गया। अफसोस की बात यह थी कि समस्याओं का अध्ययन कोई नहीं करता था, न कोई करता है। जब अंग्रेजों के जमाने में राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था तो उसका ज्यादा सम्बंध भावनाओं से था, दिल से था, दिमाग से नहीं था–– ''नेशनलिज्म मेकस अपील टू दी हार्ट''। उस समय तो यह भावना थी कि अंग्रेजों के खिलाफ विरोध फैलाओ। लोगों को समझाओ कि अग्रेजों का मुकाबला करना है, उन्हें बलिदान देने के लिए तैयार करो, जेल जाओ लेकिन वास्तव में समस्याएं क्या हैं, उनका ''डायग्नोसिस'' क्या है, उनके समाधान क्या हैं, कांग्रेस के बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते थ। उस समय तो कांग्रेस का काम करना, जेल वगैरह जाना, फिर अपनी गृहस्थी को चलाना– ये सब काम साथ–साथ होते थे। जो कुछ भी हमारे आर्थिक या सामाजिक प्रोग्राम थे, उसमें हमारी खुशकिस्मती थी कि गांधी जो के 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' के जरिए हमें ''मैंटल फूड'' मिलता रहता था। एक कारण और भी था कि लोगों ने कोई खास स्वतंत्र अध्ययन करने की जरूरत नहीं समझी। वही जिले के नेता हो गये, जो थोड़ी सी अक्ल रखते थे, जिनका गांव में या शहर में थोड़ा असर था और जिनके ऊपर अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियां कम थीं। इस तरह से ऐसे लोग आगे बढ़ गये। लेकिन जब स्वराज आया, तब तो फिर सारी समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी हमारी हो गई और तब महसूस हुआ कि ''वी आर नॉट वैल इक्विप्ड''।

मनचन्दा : *उस वक्त शायद प्रशासनिक अनुभव भी नही था ?*

चरण सिंह : हाँ, प्रशासनिक अनुभव भी नहीं था, उससे ज्यादा समस्याओं का अध्ययन ही नहीं था कि कैसे हल हों। प्रशासनिक अनुभव की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मान लो आप एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हो गये और अगर आप सफल चेयरमैन साबित हुए, तो यह समझ लो कि आप एक अच्छे प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, क्योंकि यह तो एक ''एप्रोच'' होती है....। उसमें कोई अधिक अनुभव की जरूरत नहीं होती है। बहुत से लोग दस–दस साल मंत्री रह लेते हैं और उन्हें यह नहीं मालूम होता कि विभाग को कैसे सम्भालना है। किसी को मंत्री बना दीजिए और वह सफल प्रशासक हो जाता है। मैं अनुभव की कमी को कोई बहुत बड़ी अयोग्यता नहीं मानता। व्यक्तिगत विरोध, स्वार्थी होना, एकता की कमी, जातिवाद, कुछ लोगों के साथ रियायत करना – कुछ को दबाना ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। हमारे दोस्त बस इसी काम में पड़ गये। यहां कांग्रेस कमेटी बहुत मजबूत थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसे खुद चौपट किया, बाहर के लोगों की वजह से नहीं हुई।

मनचन्दा : *जरा आप खुलकर बतायेंगे ?*

चरण सिंह : अब तो रहने दो, क्या बताना।

मनचन्दा : *आप 1947 तक ही बताइये?*

चरण सिंह : खैर, 1947 में तो मेरी यहां की राजनीति में कोई मुख्य भूमिका नहीं थी। एक और वजह थी कि मेरठ, दिल्ली प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में जाता था, लखनऊ में नहीं था। हमारे यहां के कांग्रेसियों का लखनऊ से कोई सम्बंध था ही नहीं, लेकिन मेरा सम्बंध तो दिल्ली में ज्यादा लोगों से नहीं था। मैं वकालत करता था और कांग्रेस का काम करता था। उस जमाने में दिल्ली में स्वामी श्रद्धानन्द के पुत्र पं0 इन्द्र विद्यावाचस्पति और लाला देशबन्धु गुप्ता दोनों मुख्य आदमी थे। आसफ अली और कुछ दूसरे लाग भी थे। मैं तो इनके सम्पर्क में भी ज्यादा नहीं आया। पंडित इन्द्र और देशबन्धु गुप्ता के सम्पर्क में थोड़ा आया। आसफ अली के सम्पर्क में मैं बिल्कुल नहीं आया। उन दिनों दिल्ली प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अलग थी और यू.पी. कांग्रेस कमेटो अलग थी, तो यहां की राजनीति का मुझे पता नहीं। सन् 1937 में चुनाव के लिए दिल्ली प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे टिकट दिया। उस वक्त मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा ये तीनों जिले दिल्ली में थे, बाद में ये यू.पी. में आये।

मनचन्दा : *लेकिन 1946 तक तो यहां पर आपको काफी साल हो गये थे, तो यू.पी. की राजनीति को आप समझने लगे होंगे?*

चरण सिंह : हाँ, मैं थोड़ा–बहुत समझता था। लेकिन 1936 में यहां कांग्रेस में मोहनलाल सक्सना और सी0बी0 गुप्ता जी में जो झगड़े होते रहे, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं था। मैं 1937 में एम.एल.ए. हो गया था, यहां रहता था तो बहुत बातें समझता था।

मनचन्दा : *क्या आप उस विषय में कुछ बतायेंगे ?*

चरण सिंह : नहीं, अब जरूरत नहीं है, ''वाइड सब्जेक्ट'' है, क्या बतलाऊँ ? उस वक्त मैंने दख लिया था कि नेहरू एक अच्छे नेता साबित नहीं होंगे। सन् 1937 में यहां कुछ समय बाद ही लोगों को यह लगने लगा कि कांग्रेस प्रशासन से जो उम्मीद थी, वह पूरी नहीं हुई। पुलिस

के और दूसरे अफसरों के वही पुराने रवैये चल रहे थे। बल्कि उस वक्त पंजाब में जो यूनियनिस्ट सरकार थी, उसका रिकॉर्ड अच्छा था। यहां इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। फिर हमने पार्टी में सवाल उठाया। पार्टी में बहुमत मेरे साथ था। गोविन्द बल्लभ पंत जी को लगा कि पार्टी में विद्रोह हो गया है, तो उन्होंने नेहरू जी को बुलाया। नेहरू जी उस वक्त अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जो उस वक्त लोकल सेल्फ मिनिस्टर थीं, के पास ठहरे। हमसे तीन दिन तक उनकी बातचोत होती रही। यह बात 1938 या 1939 की है। साल–डेढ़ साल में यहां कुछ खास काम नहीं हुआ। पार्टी मीटिग बुलाने की जरूरत थी, लेकिन वे बुला नहीं रहे थे, तो फिर मैंने ''रिक्वीजिशन'' किया। मैंने बारह विधायकों के दस्तखत कराकर पंत जी, जो पार्टी के नेता थे, के पास भेज दिये। उसमें लिखा ''दी मीटिंग ऑफ दी पार्टी फॉर डिसकसिंग दी वर्क डन एण्ड पालिसी व्हैदर टू फालोड बाई यू–– दी गवर्नमेंट''। इसमें मैंने मुख्य भाग लिया तो पत जी ''फैल्ट ए बिट''। मीटिंग में पंत जी ने कहा कि आप बहुत बोल चुके हैं, तो लोगों ने कहा कि इन्हें आगे बोलने दीजिए ''ही इज वाइसिंग दी फीलिंग्स ऑफ ऑल ऑफ अस''। रणजीत सीताराम पंडित भी उस वक्त सदस्य थे, तो उन्होंने भी कहा कि चरण सिंह को पूरी बात कहने दीजिए, उनकी राय हम सबकी राय है। उस समय सिर्फ बहस होनी थी, कोई वोट की बात तो थी नहीं। पंत जी ने घबरा कर नेहरू जी को बुला लिया था। उस वक्त हम तीन–चार दोस्त थे, हमारे पास कुछ नोट्स थे। हमने कहा कि पुलिस में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, कुछ काम होता ही नहीं। मुझ पर तो तभी यह ''इम्प्रेशन'' पड़ा कि नेहरू जी का ''माइंड क्लीयर'' नहीं है। उनको हमें यह बताना चाहिए था कि आप जो एतराज कर रहे हो और जो चाहते हो कि सरकार को करना चाहिए और उसने नहीं किया, तो उसका कारण बताना चाहिए था कि क्यों नहीं किया। बताते कि हमारी ''कॉंस्टीटयूशनल पॉवर्स'' नहीं हैं या यह कहते कि ''पावर्स'' हैं लेकिन जो तुम्हारे प्वाइंट्स हैं, वह ठीक नहीं हैं। जा पंत जी की सरकार ने किया वह ठीक है या यह कहते कि ''पावर्स'' हैं और गवर्नमेंट ने गलत किया है, मैं उनसे कहूँगा। परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा।

हमारे मित्र विष्णु शरण दुबलिश उन दिनों अंडमान से साढ़े बारह साल जेल काट कर आये थे। तब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई। ''इट वॉज ए केस ऑफ लव एट फर्स्ट साइट'', तो मैंने महसूस किया कि उनमें भावना थी। वह तभी अंडमान जेल से लौटकर आये थे। यह 1939 की बात होगी। तभी मैंने जाकर उनसे कहा कि नेहरू जी **''मे बी ए गुड ड्रम बीटर, बट नॉट ए गुड लीडर''।** तो मेरा यह ख्याल है कि जनता को तभी यह अनुभव हो गया था कि वह जो उम्मीद करती है वह पूरी नहीं होगी।

एक घटना उस दौरान और हुई। रुड़की इंजीनियरिंग कालेज उस समय हिन्दुस्तान में अपनी किस्म का अकेला कॉलेज था। यह 1850 में कायम हुआ था। उसके प्रिंसिपल हमेशा अग्रेज ही रहे। सन् 1930 में अंग्रेज प्रिंसिपल रिटायर हो रहा था। राजाराम, जिन्हें मैंने भी देखा नहीं, वह वहां के ''वाइस–प्रिंसिपल'' थे और बड़े योग्य और राष्ट्रवादी थे। उनको प्रिंसिपल न बनाकर दूसरे अंग्रेज अफसर को बुला लिया गया। बाबू सम्पूर्णानन्द जी के पास उस वक्त शिक्षा मंत्रालय था। जब अंग्रेज प्रिंसिपल आया तो उसने ''नेशनलिस्ट–माइंडेड'' विद्यार्थियों का ''कॅरियर'' बिगाड़ दिया। उन दिनों सौ नम्बर ''गुड कंडेक्ट'' के होते थे, तो जो लड़के अब तक लिखित परीक्षा में प्रथम आते रहे थे, उनको सौ में से जीरो या दस नम्बर दिये गये। उस वक्त ऐसा था कि प्रथम आठ लड़कों को ''ऑल इंडिया सर्विस'' में भेजा जाता था–– कुल तीस लड़के ही हाते थे, तो बाकी बाइस लड़के पी0सी0एस0 में जाते थे। जो लड़का बराबर प्रथम आता रहा था और जिसे प्रथम

आना चाहिए था, उसे पी.सी.एस. में डाल दिया गया। वह अंग्रेज प्रिंसिपल गांधी जी की* तस्वीर दीवार पर लगाने पर भी एतराज करता था। उन दिनों यू.पी. में कांग्रेस का राज था, तब भी एक अंग्रेज को प्रिंसिपल के पद के लिए बुलाया गया।

मनचन्दा : *लेकिन उनको ग्रांट तो यू.पी. सरकार ही देती थी ?*

चरण सिंह : हाँ, अब देखिए किस तरह सरकार चल रही थी। कुछ मुसलमान लड़कों ने जिन्ना का फोटो लगा दिया या हो सकता है उसने (प्रिंसिपल ने) खुद लगवा दिया। वह एतराज कर रहा था गांधी जी को फोटो पर, जब जिन्ना की फोटो भी लग गई, तो उसने कहा, अब ठीक है, दो नेताओं की फोटो हो गई...

लड़के अपने निजी जीवन में हॉस्टल में धोती भी नहीं पहन सकते थे। जब कालेज आएं तो पतलून वगैरह पहनना ठीक था, लेकिन वह तो हॉस्टल में भी धोती–कुर्ता पहनने पर एतराज करता रहा। लड़के हमसे शिकायत करते रहे। उन्हीं दिनों, यह अप्रैल 1938 या 1939 की बात है, क्या हुआ कि सम्पूर्णानन्द जी, जो हमेशा धोती पहनते थे, पाजामा पहनते ही नहीं थे, जाड़ों में भी धोती पहनते थे, कॉलेज में पाजामा पहन कर चले गये। वह प्रिंसिपल धोती पर एतराज कर रहा था, जिस वक्त मीटिंग में इन्हें देखा तो कहा ''लुक हेयर ब्वाएज, दिस इज दी प्रॉपर ड्रेस, व्हिच दी ऑनरेबल मिनिस्टर इज पुटिंग ऑन''। अब लड़के बेचारे ''लैट डाउन'' हो गये, तो मैंने यह मामला पार्टी में उठा दिया।

मनचन्दा : *यह अचानक हुआ या जान–बूझ कर किया गया ?*

चरण सिंह : अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब हमने यह मामला उठाया तो **पंतजी*** अपनी धोती पकड़ कर बोले कि भई, मैं तो पुलिस परेड में भी धोती पहन कर जाता हूँ। मैंने कहा पंडित जी बात आपकी नहीं है, यह तो सरकार की बात है या बाबू सम्पूर्णानन्द जी की बात है। वह उनकी किसी भो बात को ''डिफेंड'' नहीं कर पाये– लड़कों के साथ अन्याय हो रहा था। बात तो भारतीयता की करते थे, तो बुला लिया एक अंग्रेज अफसर को, यहां नहीं मिला तो बाहर से बुला लिया। **हिन्दुस्तान टाइम्स** में मैंने उस वक्त इस पर एक खत लिखा था। पंत जी ने इस पर इस्तीफा दे दिया लेकिन पार्टी में सबने मेरा समर्थन किया। अब बाकी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि पंतजी इस्तीफा दें। हमने अपने साथियों से सलाह मशविरा किया कि अब क्या करें। तो यह तय किया....

मनचन्दा : *यह मीटिंग किस वर्ष में हुई ?*

चरण सिंह : यह 1939 की बात है।

मनचन्दा : *जब मिनिस्ट्री चल रही थी ?*

चरण सिंह : हाँ, मिनिस्ट्री के वक्त की बात है, उसी वक्त हमने यह सवाल उठाया था। तो मैंने सलाह दी कि सरदार पटेल को सब बातें लिखकर भेज दी जाएं कि एक अंग्रेज की तरफदारी की गई है और अंग्रेज ने जो व्यवहार किया, उसे भी स्वीकार किया गया। राजाराम (एक

* पं0 गोविन्दबल्लभ पंत

भारतीय) को अपमानित किया गया ह। सम्पूर्णानन्द जी को मालूम था कि कॉलेज में धोती पर झगड़ा चल रहा है, इसके बावजूद उनका पाजामा पहन कर कॉलेज में जाना समझ में नहीं आया, जबकि हम देखते थे कि असेम्बली में वह रोजाना, जनवरी के महीने में भी, धोती पहन कर आते थे। लेकिन महावीर त्यागी, जो असेम्बली के सदस्य थे, ने **उस वक्त सब गुड़–गोबर कर दिया।** वह खड़े हो गये और उन्होंने पंत जी की खुशामद कर ली। पंत जी ने इस्तीफा वापस ले लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अपनी सरकार से जो आशाएं लगाये हुए थे, वह पूरी नहीं हुईं, और इसे मैं अपने लोगों की असमर्थता समझता हूँ, नाकि ''कांस्टिट्यूशनल हैंडिकेप्ड''।

मनचन्दा : *उसकी वजह क्या हो सकती है, ये लोग ''पॉलिसी'' को ''टांसलेट'' क्यों नहीं कर पाये, क्या उनमें ''लैक ऑफ विल'' थी, या कुछ अन्य कारण थे ?*

चरण सिंह : मैं इसे ''लैक ऑफ विल'' ही कहूँगा। सही काम करने के लिए बड़ी हिम्मत को जरूरत होती है। बाद का मेरा सारा अनुभव यही बताता है।

मनचन्दा : *हो सकता है ''जूनियर स्टाफ ओवर–पावर'' कर जाए या कुछ ऐसे ''आर्गुमेंट्स'' दे कि मंत्री को मानना पड़े कि यह ठीक है ?*

चरण सिंह : कुछ चीजें ऐसी बेशक होती हैं जिसमें स्टाफ का दृष्टिकोण मानने लायक होता है लेकिन अगर पहले भ्रष्टाचार चल रहा हो और उसमें दो महीने तो हवा बदले लेकिन फिर वही पुरानी स्थिति हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि ''मैन एट दी हेल्म आर एग्रीड, दे आर नॉट क्लीअर–हैडिड'', जो एक्शन लेना चाहिए उसे लेने से डरते थे। जनता से सम्पर्क टूट गया, फिर उनको इसका अहसास ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उनक आने से क्या फर्क पड़ा और फिर क्यों पुरानी स्थिति हो गई। मैं तो उसे बस ''लैक ऑफ विल'' ही कहूँगा।

मनचन्दा : *चौधरी साहब, किसान या जो दूसरे पिछड़े हुए वर्ग थे, क्या उस क्षेत्र में भी पार्टी की नीतियों को लागू नहीं कर पाये ?*

चरण सिंह : उस वक्त पिछड़े हुए वर्ग की ज्यादा समस्या थी भी नही; और कांग्रेस को कुल दो साल का तो मौका मिला– सन् 1937 से 1939 तक, लेकिन किसानों की समस्याओं के मामले में भी उनका जो रवैया था, वह सही नहीं था। उस जमाने में कर्जा माफी और ''एग्रीकल्चरल मार्केटिंग'' आदि के सवाल तो मैंने हो उठाये थे। यूनियनिस्ट सरकार की इस क्षेत्र में यहां से कहीं ज्यादा अच्छी उपलब्धियां थीं।

मनचन्दा : *अभी आपने एक कारण बताया कि ''लैक ऑफ विल'' था, दूसरा कोई और कारण ?*

चरण सिंह : ''लैक ऑफ विल'' तो मैं प्रशासन के बावत कहता हूँ, अब मै कहता हूँ कि ''लैक ऑफ दी एप्रिसियेशन आफॅ दी प्रोब्लम्स''...।

मनचन्दा : *यह भी कह सकते हैं कि कुछ अन्दरूनी झगड़े भी हों, उसका कुछ असर पड़ा हो ?*

चरण सिंह : नहीं, पन्तजी तो ''अनडिस्प्यूटेड'' नेता थे, इसलिए ऐसे झगड़ों का कोई सवाल नहीं था।

मनचन्दा : *रफी अहमद किदवई का और पन्तजी का कोई झगड़ा हो ?*

चरण सिंह : नहीं, उस वक्त कोई बात नहीं थी। रफी अहमद किदवई और पन्त जी के (मतभद) 1946 के बाद तो कुछ बढ़े लेकिन उस वक्त हों, मुझे याद नहीं पड़ता। और इस मामले में ''पेस'' को सैट करने वाले तो पन्त जी रहे, क्योंकि रफी अहमद साहब आमतौर पर बड़े आदमियों के हक में नहीं थे, वह गरीब किसान ओर दबे हुए लोगों के ज्यादा हक में थे। वह भ्रष्टाचार के काफी खिलाफ थे। वैसे तिकड़म तो वह अपनी करते थे लकिन फिर भी उनकी ''अप्रोच'' आम आदमी के हक में थी, पन्तजी की भी थी, चाहे जो भी मतभेद रहे हों, लेकिन मतभेद कोई बाधक नहीं थे।

मनचन्दा : *रफी अहमद किदवई एक तरह से नेहरू जी के समर्थकों में से थे । वैसे तो पन्त जी के भी सम्बंध नेहरू जी से बहुत अच्छे थे। रफी अहमद जी एक तरह से अच्छे संगठनकर्ता थे?*

चरण सिंह : यह बात 1946 में बढ़ी।

मनचन्दा : *उसके बारे में आप अगर कुछ मुनासिब समझें, तो बताइए ?*

चरण सिंह : उसके बारे में अब ज्यादा क्या बतलाऊँ आपको। सन् 1937–39 में इतनी बात नहीं थी। नेहरू जी ने पंत जी को मुख्यमंत्री बनाया। अगर नेहरू जी समर्थन न देते, तो पुरुषोत्तम दास टण्डन जी मुख्यमंत्री होते। ''टण्डन जी वाज मोर पॉपुलर एण्ड वाज मोर लब्ड बाई दी पीपल एण्ड दी वर्कर्स देन पंत जी''। पंत जी तो एक वकील थे;और वे 1934–36 के दौरान भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य भी रह चुके थे। वित्तीय समस्याओं का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया हुआ था। **अच्छा बोल लेते थे,** ''ही वाज ए गुड पार्लियामेंटेरियन, बट ही हैड लिटिल मास अपील, टण्डन जी हैड अ मास अपील''। बाहर से अगर कोई प्रभाव और जोर न पड़ता तो पार्टी टण्डन जी को ही चुनती, बस इतना ही कह सकता हूँ।

मनचन्दा : *चोधरी साहब, जिस वक्त टण्डन जी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए खड़े हुए थे और नेहरू जी के साथ उनके मतभेद भी थे, तो ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के इस चुनाव में काफी बातें कुछ हद तक यू.पी. की राजनीति से भी बावस्ता थीं, उसके बारे में आप कुछ बतायेंगे ?*

चरण सिंह : अब कोई क्या कह सकता है, नेहरू जी के टण्डन जी से मतभेद तो रहते थे। टण्डन जी को नेहरू ''कम्युनल'' समझते थे, जबकि टण्डन जी ''कम्युनल'' बिल्कुल नहीं थे। वह हिन्दी के पक्षपातो तो थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ''कम्युनल'' थे।

मनचन्दा : *लेकिन रफी अहमद किदवई जी ने भी उस वक्त टण्डन जी के खिलाफ काम किया होगा, जिस वक्त सरदार पटेल टण्डन जी का समर्थन कर रहे थे, तो रफी अहमद आचार्य कृपलानी का समर्थन कर रहे थे, तीसरे उम्मीदवार शंकर देवजी थे ?*

चरण सिंह : हाँ, आखिर रफी अहमद किदवई तो नेहरू जो के साथ थे ही, उसमें कोई शक नहीं। हम लोग, जिनके हाथ में सरकार थी, पन्त जी वगैरह सब टण्डन जी के साथ थे। असल में सरदार पटेल इस कैम्प के नेता थे, दूसरे राज्यों में सरदार पटेल ने ही सब वोटें दिलवाई थीं। उन दिनों में राज्यों में जो मुख्यमंत्रो थे, वे अधिकतर सरदार पटेल के ही समर्थक थे।

ए.आई.सी.सी. में बहुमत सरदार पटेल का था। यहां तक कि सरदार पटेल की मृत्यु के सालभर बाद तक टण्डन जी का बहुमत रहा। जब सरदार इस संसार में नहीं रहे तो 30–31 जनवरी 1951 में अहमदनगर में ए.आई.सी.सी. की मीटिंग हुई, वहां भी नेहरू जी अपनी मर्जी नहीं करा सके। रफी साहब और इन सब का हारना पड़ा। फिर जुलाई 1951 में बंगलूर में मीटिंग हुई। वहां भी वे लोग हारे और फिर अक्टूबर में नेहरू जी ने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ। यह ''प्रेशर टैक्टिक्स'' थी। टण्डन जी ने यह देखा तो बेचारों ने खुद इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गांधी जी सरदार पटेल से कह गये थे कि भई, ''सेकेण्ड इन कमाण्ड'' रहना। इसलिए वह अपने पर संयम रखते रहे, नही तो जब चाहते, प्रधानमंत्री हो जाते।

मनचन्दा : *क्या आपको त्रिपुरी कांग्रेस की कुछ याददाश्त है ?*

चरण सिंह : मैं 1939 मे त्रिपुरी में गया था। कुछ खास बात याद नहीं है।

मनचन्दा : *आपकी कुछ महान व्यक्तियों के बारे में याददाश्त हो, जैसे महात्मा गांधी के बारे में संस्मरण हो ?*

चरण सिंह : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।

मनचन्दा : *जवाहरलाल जी के बारे में ?*

चरण सिंह : जवाहरलाल जी के बारे में तो मैं आपसे कह ही चुका हूँ कि हमारी दो–तीन दिन तक बहस हुई और वह कोई सही राय नहीं दे पाये। असल में जब तक कोई आदमी ''डिटेल'' (गहराई) में नहीं जायेगा, वह सफल प्रशासक तो हो ही नहीं सकता। उनकी ऊपरी हवाई बातें थीं। उनके अधिकतर विचार विदेशो से मिले हुए थे। लोग उनकी मीटिंगों में आते थे, लेकिन वह उनकी समस्याओं को नहीं समझते थे। सरदार पटेल लोगों की समस्याओं को समझते थे, क्योंकि वह मामूली किसान के घर पैदा हुए थे, पंत जी भी समझते थे। भारतीय रियासतों का मामला अगर नेहरू जी के हाथ में रहता, तो सब गड़बड़ हो जाता। दो बार तो वे ही इंडियन स्टेट्स कान्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कोशिश भी की लेकिन सरदार ने उसको हल कर दिया। दो ही रियासतें उनके (नेहरू जी के) पास थीं– एक कश्मीर और दूसरी हैदराबाद। आप जानते ही हैं कि उन्होने क्या समस्याएं पैदा कीं।

सरदार पटेल के पास हैदराबाद का मामला 20 जून 1948 को आया, जब लॉर्ड माउंटबेटन यहां से चले गये। उन्होंने 15 जुलाई को पेप्सू का उद्घाटन पटियाला में किया। वहां अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अंग्रेजी की नेक नीति म बड़ा विश्वास है, लेकिन मुझे नहीं है। हैदराबाद का मामला अभी तक अटका पड़ा था, अब वह मेरे पास आया है। आज से तीन महीने के अन्दर हैदराबाद हिन्दुस्तान का हिस्सा होगा; और तीन महीने से भी कम समय में उन्होंने यह करके दिखा दिया।

मनचन्दा : *आप अब गोविन्द बल्लभ पंत के बारे में कुछ विस्तार से बताइये। आपको तो उनसे बात करने के बहुत अवसर मिले थे ?*

चरण सिंह : इसमें कोई शक नहीं है कि वह बड़े योग्य प्रशासक थे, पार्टी प्रबंधक भी अच्छे थे, ''पालियामेंटेरियन'' भी बहुत अच्छे थे, लेकिन **''पब्लिक स्पीकर'' बहुत अच्छे नही थे।**

उनकी पकड़ सारे विभागा पर और सारी समस्याओं पर थी, इसमें दो राय नहीं हैं। वह सर्वसाधारण के दृष्टिकोण से मसलों पर विचार करते थे, लेकिन इसके साथ ही साथ उनके जमाने में कुछ ऐसी बातें भी हुईं, जो बढ़ती चली गईं और फिर प्रशासन बहुत बिगड़ा।

मनचन्दा : *वह क्या बातें थीं ?*

चरण सिंह : मैं नहीं बताना चाहता। अब तो पन्त जी संसार में रहे नहीं, वह हमारे नेता थे। बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैं कहना नहीं चाहता।

मनचन्दा : *हमारे देश में शुरू से ही काफी गरीबी थी, इसके बावजूद मार्क्सवाद वांछित रूप से यहां पैर क्यों नहीं सका? विशेषकर गांवों में।*

चरण सिंह : मार्क्सवाद ''लार्ज इकोनॉमिक यूनिट्स'' में विश्वास करता है। मार्क्स बड़े विद्वान आदमी थे, लेकिन उन्होंने केवल उद्योगों और मजदूरों के सम्बंधों के बारे में अध्ययन किया है। उन्होने कभी किसान और कृषि की समस्याओं का अध्ययन नहीं किया। वह अपने अध्ययन से इस नतीजे पर पहुंचे कि उद्योगों में जितना बड़ा यूनिट होगा, उत्पादन उतना ही बढ़ता जायेगा। अब यह बात उद्योगों में भी सही है या नहीं, इसमें भी दो राय हैं। लेकिन मान लो कि उनकी राय सही थी, तो भी अब उन्होंने अपने उस उसूल को कृषि पर भी लागू कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। मशीन बढ़िया से बढ़िया होती चली जायेगी, तो ठीक है वह उत्पादन बढ़ा सकती हैं, क्योंकि वह ''मैकेनिकल प्रोसेस'' है। लेकिन कृषि एक ''बायोलॉजिकल प्रोसेस'' है।

अब आप गेहूँ के एक दाने को एक बीघा खेत में डाल दो और दूसर दाने को एक हजार एकड़ खेत में, तो दोनों बड़ा होने के लिए एक जितनी ही जगह गहरायेंगे, एक जितनी ही जगह घेरेंगे और पकने में एक सा ही समय लेंगे। तो ''इकोनामी ऑफ स्केल'' कृषि में नहीं होती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ''थियोरिटिकली'' खेत के आकार का कृषि उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ''इन एक्चुअल प्रैक्टिस दी फार्म पर एकड़ गोज ऑन डिकलाइनिंग, विकॉज दो ऑनर ऑफ दी फार्म इज नॉट एबल टू एक्सरसाइज सुपरविजन बियॉन्ड दी सर्टेन एरियाज''। इसलिए ''प्रैक्टिस'' में यह है कि अगर बीज, पानी, खाद आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, तो छोटे खेत की पैदावार ''पर यूनिट ऑफ लैण्ड'' ज्यादा होगी, बनिस्बत बड़े के। लेकिन कम्युनिस्ट तो मार्क्स ने जो कह दिया, उसी पर विश्वास करते थे। इसीलिए वे कृषि और कृषक की समस्या को नहीं समझते थे। कम्युनिस्ट गांव में कभी लोकप्रिय नहीं रहे, वे औद्योगिक शहरा में ही लोकप्रिय हुए। खैर धीरे–धीरे पाश्चात्य देशों में उद्योग बढ़े तो इसलिए इनकी वहां कुछ शक्ति बढ़ी लेकिन जो पूरी तरह स कृषि प्रधान देश हैं, वहां प्रजातांत्रिक तरीके से तो ये कभी शक्ति में आ ही नहीं सकते, क्योंकि कृषि में ये वही बेहूदा बात कहेगे कि ''कोऑपरेटिव फार्म्स'' (बना) कर लो, ''क्लेक्टिव फार्म'' कर लो, ''लार्ज इकोनॉमी... ।

मनचन्दा : *इस सिलसिले में जवाहरलाल जी के बारे में आपकी क्या राय है ?*

चरण सिंह : जवाहरलाल जी भी यही चाहते थे। ''कोऑपरेटिव फार्मिंग'' का उनका यही आधार था। वह भी उस रास्ते पर चलने की बात सोच रहे थे। राजनीतिक रूप से तो वह कम्युनिज्म के खिलाफ थे, लकिन आर्थिक कार्यक्रम उनका वही था जो कम्युनिस्टों का है।

मनचन्दा : *आप यह कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जवाहरलाल जी ने स्वतंत्रता के बाद जो कार्यक्रम दिया, वह मिली–जुली अर्थव्यवस्था का था। उसमें ''पब्लिक सेक्टर'' भी था और ''प्राइवेट सेक्टर'' भी था। ''पब्लिक सेक्टर'' में उन्होंने ''हैवी इंडस्ट्री'' ली लेकिन ''प्राइवेट सेक्टर'' में भी ''हैवी इंडस्ट्री'' भी रही और ''स्मॉल इंडस्ट्री'' भी रहीं। तो आप यह नहीं कह सकते कि उनका झुकाव ''साइंटिफिक'' सोशलिज्म या कम्युनिज्म की तरफ था ?*

चरण सिंह : अब मुझे ''रेफरेन्स'' याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा लेकिन उन्होंने यह कहा कि ''पब्लिक सेक्टर मस्ट ग्रेजुअली एमब्रेस ऑल इकॉनमिक एक्टिविटीज'', क्योंकि कम्युनिस्टों का राजनीतिक तरीका तो यह है कि हिंसा के द्वारा क्रांति करके समाजीकरण या राष्ट्रीयकरण कर दो। नेहरू राजनीतिक तौर पर तो –''डेमोक्रेट'' थे लेकिन उनका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में वही था।

मनचन्दा : *उन्होंने पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा रूस से ली ?*

चरण सिंह : अब जहां से भी ली हो, यह तो मैं नहीं जानता। यहां जितने अर्थशास्त्री या प्रोफेसस हैं, वे सब ज्यादातर लड़कों को मार्क्सवाद की ''थ्यूरी'' पढ़ाते हैं। यहां चाहे प्रोफेसर हो, चाहे प्रशासक हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, वे सब अपने विचार विदेशों से लेते रहे हैं, ज्यादातर रूस से और कम्युनिस्ट साहित्य से। वही इनका हाल था, इसलिए ज्यादा जोर उन विचारों पर दिया और कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो आर्थिक व्यवस्था उन्हें कृषि क्षेत्र में करनी चाहिए थी, वह उन्होंने...।

मनचन्दा : *जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ ...?*

चरण सिंह : उसमें कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने उसको बिल्कुल बदल दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तो ''इंडस्ट्री'' में भी ज्यादा जोर ''हैवी इंडस्ट्री'' पर दिया। तीसरी योजना में भी यही हआ। चौथी की तो जैसी हालत है वह है ही, तो उसका नतीजा क्या हुआ ? सन् 1947 से अब तक सैंतालिस अरब रुपये का अनाज विदेश से मंगवा लिया। सोलह अरब रुपये की रूई मंगवा ली। मनुष्य की दो ही आवश्यकताए सबसे बड़ी हैं– भोजन और कपड़ा; और दोनों चीजों के लिए इतना बड़ा मुल्क दूसरों पर आश्रित हो जाए?

जिस वक्त पहली पंचवर्षीय योजना यहां तैयार हो रही थी, ''ड्राफ्ट'' बन गया था, उन्हीं दिनों डा0 शेफ्ट भी यहां आये हुए थ, जो मशहूर जर्मन अर्थशास्त्री थे। नेहरू जी ने उन्हें अपनी योजना दिखाई। उन्होंने उसे देखने के बाद कहा कि आपने ''इंडस्ट्री'' पर इतना जोर क्यों दे रखा है, आपको चाहिए कि कृषि पर जोर दें, सिंचाई के साधन पैदा करें। अगर आप हर साल लाख, दो लाख, दस लाख, बीस लाख खर्च करते चले जाएं और सिंचाई के साधन बढ़ाते जाएं, तब सारा विकास अपने आप हो जाएगा। अब तो दो–एक साल हुए उनकी मृत्यु हो गई लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा कि एक हो प्रधानमंत्री ऐसा था, जिसने मुझसे सलाह तो ली लेकिन उसे माना नहीं; और वह व्यक्ति नेहरू थे।

तो नेहरू बड़े जिद्दी ...SS SS SS। यहां सब लोग शुरू से यही कह रह थे कि कृषि पर ज्यादा जोर दीजिए लेकिन उनकी एक ही रट थी –– 'इंडस्ट्री'', 'इंडस्ट्री'', 'इंडस्ट्री''; ''बट इंडस्ट्री विल कम आफ्टर एग्रीकल्चरल प्रोडॅक्शन, प्रोडॅक्शन हैज बीन स्टेप्ड

अप .. इट हैज इनक्रीस्ड एण्ड कल्टीवेटर्ज आर एबल टू प्रोड्यूस सरप्लस टू देअर ओन नीड्स, देन एलोन इंडस्ट्री विल कम अप, नॉट अदरवाईज।'' ये जो सारी बरबादी हुई है, सिर्फ इसी वजह से हुई है।

आर्थिक विचार उनके यही थे कि कृषि से ज्यादा 'इंडस्ट्री'' को प्राथमिकता दी जाए और 'इंडस्ट्री'' में भी ''हैवी इंडस्ट्री'' को प्राथमिकता दी जाए। ये प्रोग्राम मा–ओ–त्से तुंग ने भी चीन मे कम्युनिस्ट ''आर्थोडॉक्सी'' के मातहत शुरू किया, लेकिन उनको बड़े तल्ख तजुरबे हुए। अप्रैल 1962 में उनकी पीपल्स कांग्रेस की मीटिंग हुई। वह तीन हफ्ते चली। सोलह अप्रैल 1962 को उन्होंने प्रस्ताव पास किया और कहा कि पहली प्राथमिकता कृषि को दी जाए, दूसरी ''लाईट इंडस्ट्री'' को और बाद में ''हैवी इंडस्ट्री''। तब जाकर उनका विकास हुआ। इससे पहले तो ली फारवर्ड वगैरह अपनी इकोनॉमी चौपट कर ही चुके थे। कम्युनिस्ट देशों ने भी दुनिया भर में आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया रही है, उसी को माना है। अब रूस की और बात है। उसके पास पन्द्रह गुना ज्यादा ''पर कैपीटा'' जमीन है। वह गल्तियां करे भी तो चल सकता है। वहां ''कलेक्टिव फार्मिंग'' किसानों पर लाद दी गई, नतीजा यह हुआ कि उनका उत्पादन गिरा। सन् 1930 से 1932 तक वहां बड़ा भारी अकाल पड़ा। कनाडा और अमेरिका से गेहूँ मंगवाया, तब जाकर उनका काम चला। रूस का कृषि के क्षेत्र में ''पर एकड़ लोएस्ट प्रोडक्शन'' है। उसकी नकल यहां करना चाहते थे। सब उनकी उसी गलती से हुआ। उनकी यह ''अप्राच'' तो ठीक थी कि ''नॉन–एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन'' बढ़ाया जाए तो मुल्क मालदार होता है पर एक ही बात वह भूल गये कि ''नॉन–एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन'' तब बढ़ता है जब पहले या साथ के साथ ''एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन'' बढ़ता चला जाए। जनता तो सब कृषक वर्ग की है, अगर उनके पास खरीदने की सामर्थ्य नहीं होगी, तो सामान खरीदेगा कौन, आपकी फैक्टरी खड़ी रहेगी। आप मालूम करा लीजिए कि जितनी फैक्ट्रियां हैं– छोटी या बड़ी– उनकी ''यूटिलाइजेशन कैपेसिटी'' जितनी है, उसमें से आधी भी ''यूटिलाइज'' नहीं होती।

मनचन्दा : *बाजार में मांग नहीं है ?*

चरण सिंह : दो चीजें हैं, एक तो कुछ के लिए कच्चा माल नहीं है और जिनके लिए कच्चा माल है, उनकी मांग नहीं है।

मनचन्दा : *कच्चा माल भी तो जमीन से आएगा ?*

चरण सिंह : बिल्कुल, अधिकतर जमीन से आएगा, खानों से भी आता है, पशुओं से भी आता है, पशु तो कृषि में ही आ जाते हैं। अब ढाई अरब का ''हैवी इंडस्ट्री प्लांट'' रांची में लगा दिया। वहां मशीनें लगा दीं, पर जो मशीन माल बनायेंगी, वह खाली पड़ी हैं। इसी तरह से ''पब्लिक सेक्टर'' में भी बहुत ज्यादा जोर दिया। अब ब्रिटिश लेबर पार्टी ने अपने अनुभव के बाद राष्ट्रीयकरण का अपना कार्यक्रम छोड़ दिया, जर्मनी की सोशलिस्ट पार्टी ने छोड़ दिया, जापान की सोशलिस्ट पार्टी ने छोड़ दिया। राष्ट्रीयकरण ''प्राइवेट ऑनरशिप'' का अच्छा विकल्प नहीं है। पूंजीवाद की जो खराबियां थीं, वह धीरे–धीरे मिटती जा रही हैं। अब ता सरकार की तरफ से मजदूरों को सुरक्षा मिलती है, उनके लिए कानून बन गये हैं, उन्हें हड़ताल करने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। उस जमाने में ये सब नहीं था। शुरू–शुरू में तो मजदूरों का काफी शोषण होता था, तो उस माहौल में पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठी। अब आप देखिए कि टाटा स्टील फैक्ट्री में मजदूरों के साथ कोई बुरा बरताव होता है ? वह कितना अच्छा प्रबंध कर रहे हैं और दुर्गापुर, राउरकेला और

भिलाई में अभी कुछ दिन हुए अखबार में निकला था कि 78 प्रतिशत ''कैपेसिटी यूटीलाइज'' हो रही है। इनमें सबसे अच्छी शायद भिलाई है और 55 प्रतिशत के करीब राउरकेला की है। मुझे मालूम है कि दुर्गापुर की 38 प्रतिशत है। इसमें ग्यारह अरब रुपया लगा रखा है और दो अरब बोकारो में लगा दिया है; तेरह अरब हो गया। और दो अरब का स्टील बाहर से मंगा रहे हैं। यदि आप यह ग्यारह अरब बिड़ला या टाटा को दे देते, तो यह हालत थोड़े ही होती, उनको बहुत अनुभव है, ऊपर से कितना ही नियंत्रण कर लेते, जापान कहा से कहां पहुंच गया।

मनचन्दा : *मतलब यह है कि ''प्राइवेट इंडस्ट्री'' में बड़ा प्रलोभन रहता है, जो कि ''नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री में या ''पब्लिक इंडस्ट्री'' में नहीं होता।*

चरण सिंह : ''इन्फ्रास्ट्रक्चर'' बेशक राज्य के नियंत्रण में रहता जैसे बिजली, ट्रांसपोर्ट आदि। अब जो ''इन्फ्रास्ट्रक्चर'' की परिभाषा है उसमें स्टील भी नहीं आता। स्टील को ''प्राइवेट ऑनरशिप'' में देना चाहिए था, ''सब्जेक्ट टू कंट्रोल बाई दी गवर्नमेंट''। गांधी जी ने यही कहा था कि सब छोटे पैमाने पर करो, लेकिन लोग गांधीजी का नाम लेते रहे, मजाक उड़ाते रहे। उन्होंने बड़े अच्छे उसूल बनाये थे कि जो चीज छोटे पैमाने पर बनाई जा सकती है, उसको बनाने के लिए बड़ी फैक्ट्रीज मत रखो। वह कहते थे कि मैं ''लोकोमोटिव, शिप्स, एरोप्लेन'', बिजली, स्टील आदि बनाने के कहां खिलाफ हूँ?'' यहां तक कि वह कपड़े सीने की सिंगर मशीन के बहुत हक में थे। वह कहते थे कि यह बहुत अच्छी चीज है, अगर यह छोटे स्तर पर नही बन सकती तो आप बड़ी फैक्ट्रीज बना दीजिए, लेकिन उसूल यह रखो कि जो छोटे पैमाने पर चीज बन सकती है, उसके लिए बड़ी फैक्ट्रीज मत रखो।

सन् 1953 में तो मिल के मुकाबले बीस गुना रोजगार हैण्डलूम में मिलता था। अब भी कोई बारह गुना अधिक मिलता है और क्योंकि मिल मजदूर को क्षमता, उसका काम बहुत ''डिटिरिओरेट'' कर गया, अब उसके जो भी कारण हों। अब आपके कुल सात लाख साठ हजार आदमी टैक्सटाइल मिल मजदूर हैं और अब जितना मिल का कपड़ा पैदा होता है, उसका दस प्रतिशत तो देश के बाहर बिकता है और नब्बे प्रतिशत यहां बिकता है। अगर नब्बे प्रतिशत हैण्डलूम कपड़ा तैयार होने लगेगा तो सात लाख साठ हजार के बजाए अस्सी या पचासी लाख आदमियों को रोजगार मिलता। इससे बेरोजगारी की समस्या बहुत कम समय में हल हो जाती।

मनचन्दा : *यहां भी निजी स्वार्थ होता जा रहा है ?*

चरण सिंह : अब असल बात तो यही है, आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हो। ये जो करोड़ों रुपया चुनाव में आता है, ये कहां से मिलेगा ? मैंने इन्दिरा जी से कहा, उनका जवाब मेरे पास रखा है।

मैं इस ''इश्यू'' को ''डील'' कर रहा था कि जब आप कुछ करेंगे तो कठिनाई तो होगी ही। कठिनाई तो हर चीज में आती है। हम तो यह कहते हैं कि तुम सामान बाहर [2]बेचो, बद मत करो। ''एक्सपोर्ट इट इफ यू कैन, वी विल हैल्प यू, बट इफ यू कैन नॉट कम्पीट इन दी फॉरेन मार्केट, य् मे वैल क्लोज, बट दी इंटरनल मार्केट शैलरिमेन दी एक्सक्लूसिव प्रिजर्व ऑफ स्माल इंडस्ट्री''। अब सब ऐसी ''इंडस्ट्रीज'' का हिसाब लगा

लीजिए जो छोटे स्तर में बन सकती हैं; और ऐसी अनेक होंगी। यह सबसे बड़ी ''इंडस्ट्री'' है। अब इतना सरदर्द हो रहा है, देश की सामाजिक, राजनैतिक स्थिरता को जो खतरा है, ये सब मामला अपने आप हल हो जायेगा और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हैण्डलूम तो वे अपने आप लगा लेंगे, आपको तो कुछ नहीं करना–– बस सरकार यह शर्त लगा दे कि बड़े–बड़े शहरों में हैण्डलूम नहीं लगा सकते। इससे छोटे–छोटे शहर बढ़ेंगे, [3] बजाए इसके कि कानपुर, दिल्ली, मद्रास या कलकत्ता बढ़ जाए। पावर लूम में भी ''क्लाथ मिल'' से पॉच गुना अधिक रोजगार मिलता है। लेकिन कोई हल करना चाहता है?

आज **पायनियर**[1] के छठे पृष्ठ पर एक खबर है। मैंने कटिंग रखी है, मैं उस सिलिसिले में लिख भी चुका था, अब मैं उसे ''कोट'' करना चाहूंगा। अब आप देखिए मजदूरों की क्या स्थिति है–– एक मजदूर था, उसका किसी संवाददाता ने इंटरव्यू लिया। उस बेचारे ने बताया कि हमारे घर वालों को, बच्चों को खाने को नहीं मिलता है, यहां कोई सुधार नहीं हुआ है। जमीन तो आबादी के साथ कम होती जा रही है और जो पुराने ''क्राफ्ट्स'' और ''हैण्डीक्राफ्ट्स'' हैं, वे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि वे मिल से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पुराने जमाने के रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। जमीन की एक तो वैसे ही कमी है और जिनके पास है, वह भी कम होती जा रही है, तो औरों को क्या हक मिलेगा ? कुछ लोग तो बिना जमीन के हा गये हैं, बेरोजगार हो गये हैं। सब लोग भाग कर शहर जा रहे हैं– लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और वहां धक्के खा रहे हैं। आपने संविधान में संशोधन तो कर दिया कि गरीबी मिटायेंगे पर सरकार को गरीबी से क्या मतलब है? यह तो महज एक ''स्लोगन'' है। क्या इससे गरीबी मिटने वाली है ? मेरे ख्याल से तो 157 लाइसेंस अभी उन्होंने ''मोनोपलिस्ट्स'' को दे दिये, कोई चिंता नहीं है। तीन करोड़ आदमी तो यहां ऐसे हैं, जिनके पास तीस पैसे से भी कम की आमदनी है। न वे हमारी मीटिंगों में आते हैं, न हम उनकी झोपड़ियों में जाते हैं।

मनचन्दा : *चौधरी साहब, आजादी से पहले भी तो समाजवाद का काफी प्रचार था, खासकर यू.पी. में। तो आचार्य नरेन्द्र देव, पुरुषोत्तम दास टण्डन जी आदि के बारे में आपका क्या ख्याल है ?*

चरण सिंह : वैसे तो जवाहरलाल जी भी समाजवाद वगैरह की बात करते रहे। एक दफा 1936 में गांधी जी ने जवाहरलाल जी को चिट्ठी लिख दी कि तुम इधर–उधर की बातें करते हो, पता नहीं क्या लफ्ज लिखा उन्होंने...। लेकिन गांधी जी ने उनको लिखा था कि तुम कांग्रेस से इस्तीफा दे दो, क्योंकि वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव आया था, उस बारे में इनका मतभेद था। यही समाजवाद वगैरह की कोई बात थी।

मनचन्दा : *सन् 1936 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से राजाजी और आचार्य कृपलानी वगैरह ने इस्तीफा दे दिया था?*

चरण सिंह : वह मुझे मालूम नहीं। सन् 1939 में गांधी जी ने राजकुमारी अमृत कौर को एक पत्र लिखा, जिसमे उन्होंने कहा कि भई मैं क्या करूँ, ये नेहरूजी तो बड़े ''यूनिट्स'' में विश्वास करते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज, ''हैवी इंडस्ट्री'' आदि; तो मेरे विचार से तो यह सब फजूल साबित होंगे, लेकिन क्या करें, नेहरू जी को इसम विश्वास है। और यही हुआ। संसार में हमारा ''प्रेक्टिकली लोएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है'', बातें कितनी ही बना लो।

---

1. पायनियर, 10 फरवरी 1972

मनचन्दा : *जमींदारी उन्मूलन कमेटी में आप भी थे ?*

चरण सिंह : वह सारा मेरा ही किया हुआ है, मैं कमेटी में था। लेकिन कमेटी की बहुत सी ''रिकमन्डेशन्स इम्प्रैक्टिकल'' थीं, गलत थीं। क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी था, इसलिए मैंने ''डिसेंटिंग नोट'' तो लिखा नहीं। फिर मैंने पन्त जी को सत्रह सफे का नोट लिखा कि कमेटी की ये–ये ''रिकमेन्डेशन्स'' गलत हैं, ये राष्ट्रीय हित में नहीं हैं। उन्होंने मुझे कह दिया कि जो तुम्हारी तबीयत चाहे, तुम ड्राफ्ट करा दा। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसका मैं अध्यक्ष था। रेवेन्यू सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आदि सब उसमें थे और ड्राफ्ट का ''एवरी सिंगल पैरा, सैक्शन, टर्म'' हमारे विचारों के मुताबिक बना। उस सारे ड्राफ्ट को हमने ही तैयार किया। असल में मैंने उसका अध्ययन 1938–39 में किया हुआ था। सन् 1948 में मैंने एक किताब भी लिखी थी **जमींदारी उन्मूलन**। सन् 1948 में जब पंत जी ने मुझसे कहा तो फिर हमने ड्राफ्ट कर दिया। रेवेन्यू मिनिस्टर हुकुम सिंह थे, उनको तो कोई रुचि नहीं थी। नैनीताल में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जो ग्यारह दिन चली। उसमें रवेन्यू मिनिस्टर आये ही नहीं। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था, मैं ही गया। यह पहली मिसाल होगी कि पार्लियामेंट्री सक्रेटरी कैबिनेट की मीटिंग में आये। वहां से बिल ड्राफ्ट होकर आया।

मनचन्दा : *चौधरी साहब, क्या जमींदारी उन्मूलन का उद्देश्य बड़े जमींदारों को हटाकर जमीन सब में बराबर–बराबर बांटना था ?*

चरण सिंह : जमींदारी का अर्थ है ''लैण्डलॉर्डिज्म''। पंजाब में तो ''टेनेन्ट'' को ही जमीदार कहते हैं, यह तो बिल्कुल ''टेक्निकल'' लफ्ज है। जमींदार– यानी जमीन को धारण करने वाला, ''इवन सब–टेनेन्टस आर कॉल्ड जमींदार''। लेकिन हमारे यहां और दुनिया में जो माना गया है, वह है ''लैण्डलॉर्डिज्म, नाट लैण्ड ऑनरशिप''। तो इसका मतलब यह है कि जो ''टेनन्ट'' थे, उनको मालिक बना दिया गया। उनके और सरकार के बीच जो 'लैण्डलार्ड' था उसे हमने 'इंटरमीडियरी' कहा है, उसे खत्म कर दिया है ''एण्ड दी टेनेन्ट वाज ब्रॉट इनटू डायरेक्ट रिलेशनशिप विद दी स्टेट''। इस तरह से जो बड़े–बड़े ''टेनेन्ट्स'' थे, उन्होंने आगे जमीन ''सब–टेनेन्ट्स'' को दे रखी थी; तो फिर हमने ''टेनेन्ट–इन–चीफ'' को भी हटाया, उनको भी कुछ मुआवजा दिला दिया।

''सब–टेनेन्ट'' का सीधा सम्बंध राज्य से हो गया और हमने जो करोड़ों ''ट्रेसपासर्स'' थे, उनको भी ''टेनेन्ट'' ही मानकर ''राइट ऑफ ऑनरशिप'' दे दिया, जो किसी राज्य ने नहीं दिया। लोगों ने कहा ये तो ''ट्रेसपासर्स'' हैं, लेकिन हमारा विचार था कि वह ''टेनेन्ट'' हैं, और पटवारी तथा जमींदार दोनों ने आपस में मिलकर उस बेचारे को ''ट्रेसपासर्स'' बता दिया। उसे जमीन के मालिक की दया पर छोड़ दिया, वह जब चाहे, उसे बेदखल कर दे। किराया तो वह देता ही था पर वे उसे रसीद भी नहीं देते थे। हो सकता ह दो–चार प्रतिशत उसमें असली ''ट्रेसपासर्स'' हों लेकिन हमने फिर सभी को ''सब–टेनेन्ट'' मानकर उनको भी अधिकार दे दिया। अभी तक हमने जमींदार को ''राइट आफ रिजम्पशन'' नहीं दिया था। जमीदारों की दलील यह थी कि जब तक जमीन पर हमारा हक था, तो हमने किराये पर जमीन दी, अगर खुद खेती करना चाहते तो वापस ले सकते थे। उन्होंने उस वक्त कहा कि अब अंत में जब आप जमींदारी समाप्त करने जा रहे हैं, तो हममें से जो आदमी खुद खती करने के लिए अपनी जमीन लेना चाहें उनको जमीन वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। इस बात को ''प्लानिंग कमीशन'' ने मान लिया। मैंने यह नहीं माना। दूसरे राज्यों ने ''राईट आफ रिजम्पशन'' दे दिया, तो उसका बड़ा नाजायज फायदा उठाया। बहुत से लोग अंग्रेजों के जमाने से ''जैनूइन टेनेन्ट'' थे,

जिनके अधिकार पीढ़ी–दर–पीढ़ी सुरक्षित थे, उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन हमने किसी के साथ ऐसा नहीं होने दिया। हमारा जमींदारी उन्मूलन कानून हाईकोर्ट ने कभी ''इनवेलिड'' करार नहीं दिया। बाकी जगह तो ''चैलेंज'' हुआ लेकिन हमारा नहीं हुआ।

मनचन्दा : *आपका उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन का और एक तरह से जमीन ''टेनेन्ट्स'' को देने का था, उसमें आप कहां तक सफल हुए ?*

चरण सिंह : उसमें हम पूरी तरह सफल हो गये। पहले तो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हमने तो उस व्यक्ति को मालिक बना दिया, जो जमीन पर खेती करे। अब कोई तीसरी पार्टी हस्तक्षेप करके उसे बेदखल नहीं कर सकती, तो वह मालिक हो गया। मालिक होने से वह उसमें कुऑ बना सकता था, क्योकि जमीन उसकी हो गई। जब वह ''टेनेन्ट'' था तो उसमें न वह अच्छी खाद डालता था, न उसमें कुऑ बनाता था, न सिंचाई करता था, क्योंकि उसे भय रहता था कि न मालूम कब जमीन हाथ से चली जाए। दुनिया भर में जो ''पेजेन्ट प्रोपराईटर'' है वह किसी भी परिस्थिति में एक ''टेनेन्ट'' से पर–एकड़ ज्यादा उत्पादन करता है। यह कहा जाता है कि ''ऑनरशिप टर्न्स लैण्ड इन्टू गोल्ड''। एक पहला उद्देश्य तो यह था जो हमारे राज्य में ता पूरा हो गया। दूसरा यह था कि पहले ''टेनेन्ट'' बेचारे का कुछ ''स्टेटस'' नहीं था। अब उसे ''स्टेटस'' मिल गया। वह अपनी जमीन के टुकड़े का मालिक बन गया। तीसरा यह भी था कि ...।

मेरा तो इस मामले में समाजवादी नेताओं से बहुत मतभेद रहा। सभी जानत थे कि, ''बाबू सम्पूर्णानन्द जी अपोज कन्फर्मेन्ट ऑफ राइट्स ऑन दीज पुअर पीपल – सब टेनेन्ट एण्ड ट्रेसपासर्स'' वह यह भी चाहते थे कि ''राईट ऑफ रिजम्पशन'' दे दिया जाए। काफी विरोध चला; यहां तक कि मेरे इस्तीफे की नौबत भी आ गई। उन्हें छब्बीस सफे (पन्ने) का नोट भी लिखा। तब जाकर पंत जी ने मेरी बात मानी, तब जाकर उनको (टेनेन्ट्स का) अधिकार मिला।

मेरा कहना यह कि भूमि सुधारों का एक फायदा यह होगा कि कम्युनिज्म य.पी. में कभी अपना सिर नहीं उठा सकेगा; और ऐसा ही हुआ। जहा–जहां कम्युनिज्म है, वहां भूमि सम्बंधी सुधार अच्छी तरह से किया ही नहीं गया। ये जो कांग्रेस के नेता थे, दरअसल वे ऊपर कुछ बात करते रहे, अन्दर उनकी किसी से कोई सहानुभूतिनहीं थी। एक तो ''लेजिस्लेशन'' अच्छा नहीं बना, और जो बना भी उसको ''ऑन दी स्पॉट'' अच्छी तरह सेलागू नहीं किया। सिवाए यू.पी. के कहीं भी जमींदारी उन्मूलन...। वर्ल्ड बैंक के जा ''कन्सलटेंट'' थे, उन्होंने लिखा है कि बिहार में जमींदारी बिल्कुल वैसी ही है, जैसे पहले थी। एक और बात है, वह यह कि और एक–दो राज्यों को छोड़कर बाकी सब जगह मजदूरों की संख्या काश्तकार के मुकाबले यू.पी. से अधिक है। हमारे जो पांच राज्य हैं, इनमें मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है।

मनचन्दा : *औद्योगिक मजदूरों की या ... ?*

चरण सिंह : मैं कृषि मजदूरों की बात कर रहा हूँ। केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा हैं। बंगाल में भी सत्तर प्रतिशत होगी, इसी के आस–पास तमिलनाडु में भी होंगे, तमिलनाडु में भी अब थोड़ा–थोड़ा कम्युनिज्म ...। मुझे पहले नहीं मालूम था लेकिन जब एम. करुणानिधि के

बयान निकले कि मुझे नक्सलवादी मारने को फिर रहे हैं, तब हमें मालूम हुआ कि नक्सलवादियों की ''ब्रीडिंग ग्राउंड'' तो वही है।

मनचन्दा : *आन्ध्र में बहुत नक्सलवादी हैं ?*

चरण सिंह : आन्ध्र में हैं, तमिलनाडु में भी बहुत हैं।

मनचन्दा : *जैसा आपने अभी फर्माया कि ''लैण्डलॉर्डिज्म'' खत्म कर दिया गया लेकिन जो भूमिहीन लोग थे, उनके बारे में भी क्या कुछ किया गया ?*

चरण सिंह : उनकी बावत कुछ नहीं हो सकता। ये जो ''सीलिंग'' की बात हो रही है, इससे उन बेचारों को जमीन नहीं मिलने वाली है।

मनचन्दा : *उस वक्त जब आप थे, तब भी क्या ''सीलिंग'' का प्रस्ताव था ?*

चरण सिंह : उस वक्त भी ''सीलिंग'' लगाने का प्रस्ताव था। मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी, उसमें आखिरी अध्याय यही था कि ''सीलिंग'' होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां– राजस्थान ओर असम– को छोड़कर– काश्तकार की संख्या अधिक है, कृषि मजदूर की सबसे कम है। तो बड़ी ''होल्डिंग्स'' बहुत कम थीं। जब हम ''सीलिंग'' लगात थे तो बहुत कम जमीन मिलती थी। मेरी उस वक्त यह राय थी कि ''सीलिंग'' न लगाओ; लेकिन ''लार्ज लैण्ड होल्डिंग्स'' टैक्स लगा दिया। तीस एकड़ से जितनी ज्यादा जमीन किसी के पास होगो, उतना ''रेट ऑफ टेक्सेशन' बढ़ता चला जायगा। उसका नतीजा यह हुआ कि यह दो ही साल चला, पचास–साठ एकड़ से ज्यादा जमीन कोई आदमी रख ही नहीं सकता था, उसको जमीन बेचनी ही पड़ती। उधर हमने यह भी कर दिया था कि साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन कोई खरीद नहीं सकता। हमें जमींदार या तो टैक्स देता, टैक्स न देता तो बेच देता, किसी बड़े आदमी को वह बेच नहीं सकता था, सरकार को टैक्स मिलता रहता और सरकार कहीं ''पिक्चर'' मे न आती और ''इन्डायरेक्टली इक्विटिबल डिस्ट्रीब्यूशन'' हो जाता।

उन दिनों **वी.टी. कृष्णमाचारी, जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे,** ने हमसे पूछा कि सब ''सीलिंग'' लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं लगाते? तो मैं गया, मैंने उनको चार–पांच कारण बतलाये। उनको मैने बताया कि सबसे ज्यादा ''कल्टिवेटर्स'' हमारे यहां हैं, इसके अलावा बड़ी ''होल्डिंग्स'' की तादाद बहुत कम है। ''सरप्लस लैण्ड'' जो उपलब्ध होगी, वह बहुत कम होगी, फिर हम क्यों इस झंझट में पड़ें कि ''कम्पनसेशन'' दें और फिर जो जमीन हमें मिले वह कौन सी ली जाए, कोन सी न ली जाए। हम रद्दी जमीन मिलेगी, तो वह हम किसको तकसीम करें –– भूमिहीनों को करें या ''अनइकोनॉमिक होल्डर'' को करें। हमारे यहां तीन चौथाई तो 'अनइकोनॉमिक होल्डर'' हैं। उस वक्त तो मैंने कहा, इस झंझट में पड़ने से अच्छा हमने टैक्स लगा दिया है। उन्होंने कहा, अब ठीक है, आप ''सीलिंग'' न लगाइए। लेकिन बाद में फिर ''सीलिंग'' लग गई, नेहरूजी ने नागपुर में पास कर दिया।

मनचन्दा : *यह किस साल में हुआ ?*

चरण सिंह : यह 1960 में लगी। ईमानदारी से इसे कोई लगाना नहीं चाहता था। यानी जो ''रिकमन्डेशंस'' थीं कि ''सीलिंग'' इतने–इतने एकड़ पर हो, उसके लिए आगे की तारीख निश्चित कर दी। तब तक सबने जमीनें तकसीम कर दीं, सबने छिपा दीं। ये तो बेमानी सी बात हुई। अगर ऐसा ही करना था, तो जब वह प्रस्ताव नागपुर कांग्रेस में पास हुआ था, उसी तारीख से लागू कर दते, क्योंकि उससे पहले तो लोगों को ख्याल नहीं था कि ''सीलिंग'' होने वाली है। लेकिन कोई भी ''सीरियस'' नहीं था। मैंने सीधा कहा कि इसकी जरूरत नहीं है।

मनचन्दा : *जमींदारी उन्मूलन के बाद किसान सभाओं की क्या भूमिका थी ?*

चरण सिंह : किसान सभा की भूमिका ''टेनेन्ट्स विज–आ–विज'' जो ''लैण्डलॉर्ड्स'' भी थे, उनकी मागों को ''प्रेस'' करना और जो अन्याय करता था या बेदखली का जो कानून था, उसमें जो ''लूप–होल्स'' थे, जिससे जमींदार किसानों का शोषण करता था, बस उन केसों को वह उठाते थे। लेकिन जब जमींदारी उन्मूलन हो गया, तो कोई जमींदार या ''टेनेन्ट'' नहीं रहा, सब अपनी जमीन के मालिक हो गये।

मनचन्दा : *लेकिन जब आपने ''टेनेन्ट'' को कुछ जमीन दे दी, तो वह भी तो आगे काम के लिए मजदूर रखेगा, तो राज्य ने मजदूरों के लिए क्या सुरक्षा दी ?*

चरण सिंह : वह हो नहीं सकती। ये जो इन्होंने(सरकार ने) ''एग्रीकल्चरल मिनिमम वेजेज एक्ट'' पास किया है, यह सब बेवकूफी की बात है। जहां मजदूर ज्यादा होंगे और किसान कम होंगे तो–ये तो ''डिमांड'' और ''सप्लाई'' की बात है– वहां मजदूरी कम मिलेगी। जहां कृषक मजदूर की तादाद कम होगी, वहां मजदूरी ज्यादा मिलेगी, जैसे हरियाणा में कृषक मजदूर बहुम कम हैं, वहां हरिजनों की आबादी भी बहुत कम है, इसलिए मजदूरी ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा मजदूरी पर भी मजदूर नहीं मिलते, तो वहां का किसान और उसकी (परिवार की) औरतें कंधे से कंधा मिलाकर खेत में काम करते हैं। हमारे यू.पी. में ऐसा नहीं है। इसमें यह बात नहीं है कि वे अपनी औरतों से इतना सख्त काम लेना चाहते हैं, बल्कि उनकी मजबूरी है। आप हरियाणा पार कर लीजिए और मेरठ, आगरा डिवीजन में आ जाइये। हमारे यहां औरतें गांवों में या खेत में वह काम नहीं करतीं, जोकि हरियाणा में करती हैं। वह अपने पति केलिए, अपने लड़के की मदद के लिए खेत पर खाना पहुंचा देती हैं और काम का बहुत ज्यादा जोर हुआ तो खेत से चारा काट लाती हैं। जो दूध देने वाले पशुओं को देखने का काम है वह तो उन्हीं की निगरानी में रहता है। यह जो ''कॉटन पिंकिंग''––उन दिनों में ''कॉटन'' होती थी, अब तो खत्म ही हो गई है–– के लिएघर की मालकिन, (किसान की पत्नी) मजदूरनियों को ले जाती थी और वह खुद भी कपास तोड़ती थी और निगरानी भी करती थी। इसके अलावा सिल्ला–– यह संस्कृत का शब्द है, जैसे आपने गहूँ काटा तो उसकी बाली झड़ जाती हैं, तो उसकी ''पिकिंग'' का काम–– और इस तरह के दूसरे काम तो हमारी औरतें करती हैं। हरियाणा में ईख खोदना या खलिहान में औरतों को काम करना पड़ता था। अब तो उनसे वहा भी नहीं कराते, क्योंकि अब बैलों के खुरों के जरिए ''थ्रेशिंग'' नहीं करवाते, अब तो ''थ्रेशिंग'' मशीन वगैरह हो गई हैं, लेकिन पहले तो औरतें ही करती थीं। पर हमारे यहां ऐसा नहीं था। पूरब की तरफ तो औरतें इतना काम भी नहीं करती थीं, क्योंकि वहां मजदूरों की तादाद बढ़ती चली गई। सामंतवाद की ज्यादा हवा थी। हमारी तरफ ता किसान ''प्रॉपराइटर'' ज्यादा थे, जमींदार बहुत कम थे। सब बराबर का मामला था, बड़े–छोटे का फर्क कम था, लेकिन य फर्क पूरब की तरफ बढ़ता चला गया। इधर बड़े–बड़े जमींदार होते चले गये। सामंतवाद की विशेषता

यह है कि ''मैन्युअल वर्क'' को छोटा (हीन) माना जाता है, तो लिहाजा यहां स्त्रियों के काम का तो सवाल ही नहीं है। पुरुष भी काम नहीं करते थे। वह भी हल नहीं चलाते थे। वहां का ब्राह्मण, ठाकुर अपने हाथ से हल नहीं चलाता और अपने हाथ से कोई काम इसलिए नहीं करता कि समाज में उसे छोटा माना जायेगा और शादी नहां होगी। यहां यह इतना इसलिए हो गया, क्योंकि यहां मजदूर बहुत ज्यादा हैं।

मनचन्दा : *यानी ''डिग्निटी ऑफ लेबर'' नहीं है ?*

चरण सिंह : आखिर हल तो यह है कि चाह कृषि मजदूर हों, भूमिहीन हों या बेरोजगार हों, वे हो ''इंडस्ट्री में जाएं। ये जो ''सीलिंग'' की बात कर रहे हैं, यह कोई समस्या का हल नहीं है। ना ही इतनी जमीन है, चाहे उसका तीस एकड़ से बीस–बीस एकड़ कर दो, चाहे बीस का पन्द्रह कर दो, इतनी जमीन ही नहीं है। मान लो अगर सब के पास जमीन हो जाए, तो मुल्क जितना आज गरीब है, उससे और ज्यादा गरीब हो जायेगा। इतनी बात तो जरूर है कि अगर कुछ लोगों के पास ज्यादा जायदाद है, चाहे ''अरबन प्रॉपर्टी'' है, चाहे ''रूरल प्रॉपर्टी'' है और कुछ के पास कुछ नहीं या बहुत कम है, तो एक असंतुष्टता होती है। यह मनोवैज्ञानिक बात है। मान लो हम तीनों गरीब हैं, तीनों की झोपड़ी हैं, तो एक–दूसरे को देखेंगे, तीनों गरीब हैं, कोई असंतुष्टता नहीं होती। लेकिन अगर एक के पास झापड़ी है और दूसरे का महल हो जाए और हमारी झोपड़ी आपके महल की दीवार के नीचे हो, तो असंतुष्टता होना स्वाभाविक है। तो इस दृष्टि से जिनके पास ज्यादा जायदाद है, बेशक ले लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह याद रखना चाहिए कि ''दैट इज नो सॉल्यूशन ऑफ दी प्रॉब्लम। यू आर सिम्पली बाइंग सम टाईम –– दैट्स ऑल''।

अब पता नहीं हमारी प्रधानमंत्री इस बात को जानती हैं कि नहीं जानतीं; और हमारे यहाँ क और मंत्री समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं लेकिन ये काम जितना ढोल बजा के हुआ है, (उसस) सबने अपनी जमीन तकसीम कर ली। अठारह एकड़ से ज्यादा किसी एक के नाम पर हिन्दुस्तान में जमीन नहीं है, बहुत कम पायेंगे। कानूनी तौर पर या संवैधानिक तौर पर आप उस जमीन को ले नही सकते। तो जो कुछ मिल सकती थी, वह भी नहीं मिली।

सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि राजनीतिक दल यह तकसीम करो, वह तकसीम करो, यह करो, वह करो, ठीक है, ''डू इट'' लेकिन आप लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। मान लो ''बन्स सीलिंग हैज बीन इम्पोज्ड एण्ड व्हाटएवर लिटिल लैण्ड इज अवेलएबल हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटिड एज इफ दी इकोनॉमिक प्रोब्लम ऑफ दी कन्ट्री वुड हैव बीन सोल्व्ड–– फुलिश''। असली समस्या है ''ग्रोथ ऑफ नॉन–एग्रोकल्चरल ऑकूपेशन'', तो जो असली समस्या है उससे आप लोगों का ध्याान हटा रहे हैं। यदि इस पर ध्यान देते कि ''नॉन–एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन'' कैसे बढ़ाएं, उसके लिए पूरी कोशिश होती और इसी के साथ एक प्रोग्राम यहां ''लैण्ड सीलिंग का भी रखते; ''नाऊ दे पुट ऑल देअर एग्स इन वन बास्केट ऑफ लैण्ड डिस्ट्रीब्यूशन''; अब इन चीजों से कोई हल नहीं होने वाला। मान लो दो महीने बाद नये मुख्यमंत्री आ गये, उनकी सरकार बन गई या कोई दूसरी सरकार बन गई, ''दे आर वैडिड टू लैण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ... एक्च्वली दैट मेड सो डन्ट इन दी प्रॉब्लम'', और वह ठीक ही है, लेकिन इससे समस्या हल होगी ? सब लोग डिसइल्यूजन्ड'' होंगे। यहां जो मजदूर हैं, उनको क्या मिलेगा, उनकी गरीबी कैसे हटेगी ?

यहा आर्थिक नीति गलत है, उसमें बदलाव होना चाहिए और सबसे बड़ा समाधान वही है, जो गांधीजी न बतलाया था। वह कह गये थे कि यह होना ही नहीं चाहिए, मिलों को बन्द कर देना चाहिए। छोड़िये, बन्द न कीजिए, इतना ''इनवेस्टमेंट'' हो गया है; और सरकार वह कहां से लेगी ? तो इनको कहो कि भई, तुम अपना सामान बाहर बेचो। एक साल में सारी समस्या हल हो जाती, पर कोई करना कहा चाहता है और ये सबसे बड़ी समस्या है। इसमें जितना आप बड़ी ''इंडस्ट्री'' पर जोर देते जा रहे हैं, उतना ही ''डिसपेरिटीज इन इन्कम आर वाईडनिंग, इन स्माल इंडस्ट्रीज डिसपेरिटीज गेट नैरोड''।

मनचन्दा : *उनमें तो ''ऑनरशिप'' अपनी आ जाती है ?*

चरण सिंह : हॉ, ''सेल्फ एम्प्लायमेंट'' होता है। एक और बात है कि जनतंत्र में देश में जितने ''सेंटर्स ऑफ डिसीजन्स'' ज्यादा जायेंगे, समाज में उतना विकेन्द्रीकरण होगा।

मनचन्दा : *गांधी जी विकेन्द्रीकरण चाहते थे ?*

चरण सिंह : हॉ, वह तो बेचारे कहते ही थे। मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ कि आप अपनी छोटी सी मशीन के मालिक हैं, आपके पास छोटा सा औजार है, आप काम कर रहे हैं, चाहे हैण्डलूम है, चाहे पावरलूम ह, छोटी मशीन है तो हर बात में फैसला आपको करना है। आपके ऊपर कोई अफसर नहीं है। आप अपना फैसला करने में स्वतंत्र हैं। इससे ''डेमोक्रेटिक ट्रेन्ड्स'' को बढ़ावा मिलता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी ख्याल ह कि छोटे–छोटे यूनिट्स में ''पर यूनिट ऑफ कैपिटल इनवैस्टमेंट'' में उत्पादन ज्यादा होता है। हालांकि इस पर कुछ मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर अर्थशास्त्रियों का यह ख्याल है कि छोटे ''एन्टरप्राइज'' में ''पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टिड'' उत्पादन ज्यादा है बनिस्पत बड़े ''इन्टरप्राइज'' के; तो अगर यह बात है तो धन भी बढ़ेगा, लोगों की आय में ''डिस्पेरिटी'' भी कम होगी। तीसरी बात है कि बेरोजगारी खत्म हो जायेगी और चौथी बात है कि वास्तविक प्रजातंत्र टिका रहेगा। देश में चाहे आप स्टील बनाइये, चाहे बिजली बनाइये, हवाई जहाज बनाइये, इनको कौन राकता है ? लेकिन हम तो लाईन वहां खींचना चाहते हैं कि जो चीज छोटे स्तर पर बन सकती है उसे बड़े स्तर पर न बनाया जाए। लेकिन कोई इस समस्या की तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं। ''ऑल आर गाइंग बाई स्लोगन्स, देअर इज ए कॉम्पीटिशन ऑफ स्लोगन्स टुडे''।

मनचन्दा : *चौधरी साहब, आप काफी सालों तक मंत्री रहे हैं। भ्रष्टाचार के सिलसिले में आजादी से पहले और आज क्या अन्तर है; यानी भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ है ?*

चरण सिंह : भ्रष्टाचार तो कई गुना बढ़ा है। इस बात के लिए मैं राजनीतिज्ञों को दोषी ठहराऊंगा, न कि अफसरों को। मेरा अनुभव यह है कि जैसी उनको लीडरशिप मिल जायेगी, वैसा ही वे काम करेंगे। वे बहुत जल्दी ''रिएक्ट'' करते हैं। यहां बिल्कुल घोड़े और सवार वाली बात है। घोड़ा बहुत जल्दी पहचान जाता है कि जो सवार मेरी पीठ पर बैठ गया है वह सवारी करना जानता है या नहीं; नहीं जानता तो इसे गिरा दो। अगर वह समझता है कि ये जानता है, तो फौरन समझ जाता है। अगर आप अपने दोस्तों के लिए रियायत करानी चाहें तो वह अपनों के लिए भी रियायत लेगा और आपकी कमजोरी समझ लेगा, फिर आप न भी कहोगे तो भी ढूंढ–ढूंढ कर आपके रिश्तेदारों की, दोस्तों की और आपकी पार्टी वालों की मदद कर देगा। आपकी जबान तो बद हो गई। भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है न कि

नीचे से। अगर एक आदमो समाज में अच्छा हो और उसमे त्याग और बलिदान की भावना हो, तो उसका अच्छा असर पड़ता है।

मनचन्दा : *लेकिन भ्रष्टाचार तो अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है ?*

चरण सिंह : हॉ, चला आ रहा है, लेकिन कई गुना ज्यादा हो गया है। यह तो दुनिया में हमेशा होता रहा है, लेकिन जितना हमारे देश में रहा है या दक्षिण पूर्वी देशों में, जैसे फिलिपाइन वगैरह में है, उतना यूरोप के देशों में नहीं है। यह तो कोई दावा नहीं कर सकता कि भ्रष्टाचार कभी भी नहीं होगा लेकिन जापान मे बहुत कम भ्रष्टाचार है। फिर दूसरे नम्बर पर इंग्लैंड आता है, तीसरे नम्बर पर जर्मनी आता है। इजराइल के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, शायद इजराइल में भी हो, अमेरिका में कुछ है, इटली में बहुत है, फ्रांस में भी है, लेकिन जिस मात्रा में हमारे यहां है, और कहीं नहीं है। नेहरूजी खुद तो भ्रष्ट नहीं थे, लेकिन भ्रष्ट आदमियों पर उनको गुस्सा कुछ नहीं आता था। अगर शुरू में दो–चार मंत्रियों को निकाल देते, तो यह नौबत न आती। वह उन्हें जानत–बूझते हुए बरदाश्त करते रहे––तो यह जड़ है। अब यू.पी. की बात मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं यहां का रहन वाला हूँ, यहां की राजनीति में हूँ, लेकिन किसी से मालूम कर लेना कि क्या हो रहा है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं पायेंगे। क्योंकि बरदाश्त किया जा रहा है। मान लो मैं गृहमत्री हूँ और रिश्वत लेने लगूं तो क्या आई.जी. ईमानदार रह जायेगा ? अगर वह भी रह जाए तो फिर क्या नोचे के लोग रह जायेंगे? मेरा अपना तजुर्बा यह है कि दस–पन्द्रह प्रतिशत तो हमारे अफसर ऐसे हैं कि ऊपर के अफसर और मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और राजनीतिक नेता चाहे कितने ही ईमानदार हों, फिर भी वह रिश्वत लेते रहेंगे, लेकिन पचहत्तर प्रतिशत ऐसे हैं, जो जैसा ऊपर से देखेंगे, वैसा ही वे अपने आपको ढाल लेंगे।

मनचन्दा : *आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, तो ''व्यूराक्रेट्स'' से ''डील'' करने में आपको क्या मुश्किलें आईं, क्योंकि उनकी नौकरी सुरक्षित होती है; और किस तरीके से आप काम लेते थे ?*

चरण सिंह : मुझको तो कभी कोई मुश्किल नहीं आई, यह ठीक है मंत्री ''नान–एक्सपर्ट'' होते हैं, लेकिन उन्हें अपने मंत्रालय के काम का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ऐसे आदमी को कृषिमंत्री बना दें, जिसे खरीफ और रबी की फसल में फर्क न मालूम हो तो फिर तो उसको ''डायरेक्टर ''एग्रीकल्चर'' उल्लू बना ही लेगा। मंत्री को अपने मंत्रालय से सम्बंधित मोटी–मोटी बातें तो समझनी ही चाहिए। अगर वह नहीं समझता है, तो वह ''गाइड'' नहीं कर सकता। ये मंत्री की योग्यता पर निर्भर करता है। सेक्रेटरी ने फाइल पर नोट लिखकर भेजा, हमने ऑख बंद कर दस्तखत कर दिय, एक नोट पर दस्तखत किये, दो पर किये, अगर पांच नोटा पर बिना किसी बहस के, बिना कोई पूछताछ किये दस्तखत कर दिये तो वह समझ जायेगा कि मंत्री को कुछ नहीं आता। इससे सेक्रेटरी की काम करने की क्षमता गिर जायेगी और ''ही विल नॉट एग्जर्ट हिमसेल्फ''। वह सोचेगा मैं चाहे कुछ भी मेहनत करूँ, मेरे ''बॉस'' ने कोई सराहना नहीं करनी। अफसर भी ऐसे लोगों को नहीं चाहत। वे तो चाहते हैं कि उनको कोई ''गाइडेंस'' देने वाला हो–– अगर ''गाइडेंस'' नहीं देता, तो कम से कम जो व लिख रहे हैं, उसको सराहने वाला हो। सलाम तो उनको करना ही पड़ता है, लेकिन उनके दिल में ऐसे लोगों के लिए आदर नहीं है। ''इन्टलेक्च्वल सुपिरिऑरिटी'' और ''इक्वेलिटी'' के साथ ''मॉरल अथॉरिटी'' भी चाहिए। सरकार बिना ''मॉरल अथॉरिटी'' के नहीं चलती है। अगर अफसर के दिल में मंत्री और मुख्यमंत्री के चरित्र के लिए आदर नहीं है....। कई मौके ऐसे आते हैं जहां आदमी भाँप जाता है कि मंत्री

किस चरित्र का है। फिर कैसे सरकार अच्छी चलेगी? मैंने तो बहुत ''ब्यूरोक्रेसी'' देखी है, मैंने पुलिस भी देखी है, पुलिस विभाग बेचारा इतना बदनाम है, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं रही। कॉन्स्टेबिल से लेकर आई.जी. तक अपने को ऐसा ढाल लेते हैं कि चौबीस घंटे के अन्दर–अन्दर गृहमंत्री के स्वभाव का असर ऊपर से लेकर थाना स्तर तक दिखाई दे जाता है, इतनी ''ऑर्गनाईज्ड फोर्स'' है। अब आप उनको दोषी नहीं ठहरा सकते।

इंग्लैण्ड में तो ''ब्यूरोक्रेसी'' नहीं है। वहां काउण्टी काउंसिल हैं, जा सबसे महत्वपूर्ण आदमी है वह काउंटी काउंसिलर कहलाता है। काउंटी में निर्वाचित सदस्य हैं। वहां यह ढांचा नहां है, नीचे लेखपाल–कानूनगो आदि नहीं है। लेकिन यहां भी उनको दोष देना मैं ठीक नहीं मानता। हम राजनीतिज्ञ उसके लिए दोषी हैं। यहां अगर कोई अफसर ईमानदारी से नोट लिखता है, सही मशविरा देता है, बेईमानी करने को तैयार नहीं है, तो उसका तबादला कर दिया जाता है। अब ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो ''रिस्क'' लें। वे अपने आपको ढाल लेते हैं कि भई, आप बेईमानी चाहते हैं तो बेईमानी सही, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो अपना नोट ही नहीं लिखते और कुछ ऐसे हैं कि वे अपने विचार लिखित में तो देंगे, उसके बाद मंत्री चाहे कितनी बेईमानी का आर्डर दे, वे कार्यान्वित कर देंगे। लेकिन कई ऐसे मंत्री हैं, जो नाराज होते हैं कि हमने जुबानी कह दिया कि यह कर दो, तो करो। इसमें बड़ी परेशानी होती है। वह अफसर बेचारे मर मिटते हैं। वे समझते ह कि सैद्धांतिक रूप से गलत काम हो रहा है, लेकिन यदि वे अपनी राय देते हैं, तो नाराजगी होती है और फौरन तबादला हो जाता है। अपनी राय लिखने से उसको आत्मिक संतुष्टि होती है, आगे तो वह कर्तव्यबद्ध है, जो कुछ भी मंत्री हुकुम देता है, सही हो या गलत, वह कर देता है। लेकिन राय आपकी कुछ भी हो, आप लिख नहीं सकते, ऐसे प्रशासन कैसे चलेगा?

मनचन्दा : *आपका जिन व्यक्तियों से सम्पर्क हुआ क्या आप उनके बारे में बतायेंगे, जैसे आचार्य नरेन्द्र देव?*

चरण सिंह : मैं उनके बहुत थोड़ा सम्पर्क में आया। बहुत अच्छी आदमी थे, कभी प्रशासन तो उनके हाथ में नहीं रहा। विद्वान और चरित्रवान आदमी थे। ये दोनों बातें एक आदमी में बहुत कम मिलती हैं, उनमें दोनों बातें थीं। एक समाजवादी नेता के रूप में वह कुछ खास नहीं कर पाये, अपने विचारों का प्रचार करते रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद मतभेद इतने बढ़ गये कि अगर वे जिन्दा रहते तो शायद ये मतभेद न होते। वैसे जयप्रकाश नारायण उनके स्तर के आदमी थे लेकिन वे इस दल को ''डिसेक्शन'' से रोक नहीं पाय। समाजवादी दल का ''डिवीजन'' और ''सब–डिवीजन'' हो गया। मुमकिन था कि नरेन्द्रदेव होते तो रोक पाते। हम तो दिल्ली पी.सी.सी. में थे, यू0पी0 के लोगों से कुछ वास्ता ही नहीं था और मैं शुरू से कोई इस तरह का आदमी नही था कि उन दिनों में पी.सी.सी. और ए.आइ.सी.सी. के ऑल इंडिया स्तर पर पहुंच गया होता। इसलिए उनसे मेरा सम्पर्क ज्यादा नहीं रहा।

मनचन्दा : *लेकिन यह यू.पी. असेम्बली में तो थे ?*

चरण सिंह : यू.पी. असेम्बली में वह रहे ही कितना, मेरे सामने बहुत कम रहे, 1937 से 1939 तक, दो वर्ष ही रहे। फिर 1946 में चुनकर आये, मार्च 1948 में उन्होंने त्याग–पत्र दे दिया। उस वक्त ग्यारह आदमियों ने त्याग पत्र दिया था। जब कभी वह बोलते थे, तो अच्छा बोलते थे, लेकिन कम बोलते थे।

मनचन्दा : *रफी अहमद किदवई के बारे में आपके क्या विचार हैं ?*

चरण सिंह : वह अच्छे प्रशासक थे, अच्छे व्यवस्थापक भी थे, गरीब आदमी की तरफ उनका रुख भी था। वह ''रेड–टेपिज्म'' को ''कट डाउन'' करना चाहते थे, लेकिन वह जिस तरह से ऐसा करना चाहते थे, उससे फिर समस्याएं पैदा होती थीं। अगर कुछ खराबी है, तो आप नियम बदल दें, जिससे काम में देर न हो। लेकिन नियम तो जैसे हैं वैसे ही रहे, परन्तु अफसर जो आप कहें वही माने कि हमने कह दिया है फलां जगह बिजली जरूर लगेगी – मान लो अफसर कहता है कि उन लोगों ने पैसा जमा नहीं किया है आर मंत्री कहता है कि पैसा बाद में आता रहेगा, तुम्हें यह सब कल तक करना होगा–– तो यह बात प्रशासन के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तरह के बहुत से काम किये, तो लोगों ने कहा कि बड़े अच्छे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे एक बड़ी ''डिससर्विस'' हुई है –– अनुशासनहीनता के लिए किदवई साहब जिम्मेदार थे। व यू.पी. में पंतजी के खिलाफ अनुशासनहीनता फैलवाते थे। जब यहां से चले गये, तो उन्होंने जन कांग्रेस बनवाई, जिसके त्रिलोकी सिंह अध्यक्ष थे।

उन दिनों मैं वहां जमींदारी उन्मूलन योजना चला रहा था। ''टेन टाइम्स दी रेंट'' जमा करने की बात थी, वह ''भूमि रिफंड'' कहलाता था। उसका इन लोगों ने खुलकर विरोध किया। एसी और भी बातें थीं। उन सब के पीछे रफी साहब थे। फिर हमने उनको निकाला। इन लोगों को कांग्रस छोड़कर जाना पड़ा। उनकी पीठ पीछे नेहरू जी थे। वह बिना नेहरू जी के कुछ नही कर पाते लेकिन सब हुआ। ये सब ''हार्ड फैक्ट्स'' हैं। फिर इन्हीं लोगों ने टण्डन जी से लड़ने के लिए किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। उन्होंने और आचार्य कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया, आचार्य तो वापस नहीं आये लेकिन रफी साहब वापस चले आये। तो कांग्रेस में धीरे–धीरे इस हालत तक अनुशासनहीनता हो गई, इसके लिए मैं रफी साहब को जिम्मेदार ठहराता हूँ।

सन् 1952 में मेरा ही विरोध करवाया। मैंने नेहरू जी को लिखा कि रफी साहब ने मेरे खिलाफ जो लोग हैं, उनकी मदद की। उन्होंने ''एवीडेंस'' मांगे। मैंने कछ ''एवीडेंस'' भी भेज दिये। तब नेहरू जी चुप हो गये, क्या माएने हुए ? तो इस तरह से नेहरू जी ने सरदार पटेल, पन्त जी, टण्डन जी– इन लोगों से लड़ने के लिए....। अरे भई, आप तो प्रधानमंत्री हो गये आपकी ''अथॉरिटी'' को कोई ''डिसप्यूट'' नही करता, गांधी जी ही आपको प्रधानमंत्री बना गये, वैसे तो एक–दो को छोड़कर सरदार पटेल को भी सारी वकिंग कमेटी चाहती थी। आप लोग बन गये हो तो सबको मिलाकर चलो। सरकार बाद में बनी, शक्ति बाद में आई और काम में विघ्न हम बड़े लोगों ने खुद डालने शरू कर दिये। अब इसमें नीचे वालों का क्या कुसूर है।

मनचन्दा : *चौधरी जी, पुरुषोत्तम दास टण्डन के बारे में कुछ बताइये ?*

चरण सिंह : हम सब लोग उनका बहुत आदर करते थे। जो लोग उनसे मतभेद रखते थे, वह भी उनका बहुत आदर करते थे। वह ''कम्युनलिस्ट'' बिल्कुल नहीं थे। टण्डन जी शायद बहुत अच्छे प्रशासक साबित नहीं होते, क्योंकि कोई भी निर्णय लेने में वह देर करते थे और अच्छा प्रशासक वही होता है जो जल्दी निर्णय ले। इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष के रूप में वह बहुत सफल रहे, ऐसा मैंने सुना है, मेरा कोइ निजी अनुभव नहीं है। लेकिन वैसे मुझे लगता यह है कि अगर वह मुख्यमंत्री होत या और कोई मंत्री होते तो बेईमानी तो

होती ही नहीं, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन हर बात में देर बहुत होती। वह एक बहुत अच्छे वक्ता थे, उन जैसा वक्ता तो हमारे यहां हुआ नहीं। शायद स्वराज होने के बाद ही कोई हुआ हो, जी.वी. मावलंकर भी हुए हैं, लेकिन वह बहुत अच्छे वक्ता थे। ''हिज लाईफ वाज सरमन ऑफ सेक्रीफाईज''। उनके साथ नेहरू जी ने बहुत अन्याय किया।

मनचन्दा : *सरदार पटेल से कभी मिलने का मौका मिला ?*

चरण सिंह : उनसे एक–दो दफा मेरो मुलाकात हुई।

मनचन्दा : *सरदार पटेल के बारे में आप कुछ बताइये ?*

चरण सिंह : उनके बारे में मैं बहुत अधिक नहीं जानता सिवाए इसके कि जो कुछ मैंने पढ़ा या देखा। उनसे मेरी केवल एक–दो दफा मुलाकात हुई। रफी साहब की प्रेरणा से यहां जन कांग्रेस बनी थी। मैंने बाइस विधायकों को लेजिस्लेटिव असेम्बली से निकाल दिया। उन दिनों मैं प्रदेश कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था तो वर्किंग कमेटी की और पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग वहां हुई। उस वक्त सरदार थे।

मनचन्दा : *यह किस वर्ष की बात है ?*

चरण सिंह : यह 12 या 13 फरवरी 1950 की बात है। उसमें और भी नेता जैसे मौलाना आजाद आदि आये थे, तब सरदार पटेल से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि इन लोगों के खिलाफ क्या आरोप हैं? हमारे पास फाईल थी। हमने बताया कि इन्होंने अनुशासन भंग किया है।

मनचन्दा : *उस पर उनकी क्या प्रतिक्रया हुई ?*

चरण सिंह : जो होनी चाहिए थी, वही हुई। वह हमारी हर बात से सहमत थे। हमारे पास तो ''डाक्यूमेन्टरी एवीडेंस'' था। तो उससे कोई असहमत होता भी क्या। एक–आध ने उसको ''डिफेंड'' करने की कोशिश की भी.....।

मनचन्दा : *इस सम्बंध में आपने पंडित जी और सरदार पटेल में क्या अन्तर पाया, क्योंकि पहले आपने बताया था कि जब कुछ आरोप लगाये तो जवाहरलाल जी ने नहीं सुना.....?*

चरण सिंह : वे ''पर्सनल चार्जेज'' नहीं थे, वह तो नीतियां थीं। हाँ, वह निर्णय नहीं ले सके। सरदार के दिमाग में तो सब मामला बड़ा साफ रहता था।

मनचन्दा : *एक प्रशासक के रूप में आपने दोनों में फर्क देखा ?*

चरण सिंह : हॉ।

मनचन्दा : *''सरदार वाज श्रूड'' ?*

चरण सिंह : बिल्कुल ।

मनचन्दा : *'लेकिन यह कहा जाता है कि सरदार पटेल ज्यादा बातचीत नहीं करते थे ?*

चरण सिंह : हॉ, वह ज्यादा बात नहीं करते थे। हमें तो मणिबेन पटेल ने कह दिया था कि उनसे ज्यादा बात मत करना। उन दिनों हमने ध्यान रखा कि कम बातें की जाएं। इससे पहले मेरी उनसे भी मुलाकात हो जाती थी। एक बार 1948 में जब वह देहरादून ठहरे हुए थे, तो एक शख्स ने ऊपर के नेताओं के पास मेरे खिलाफ ''चार्ज'' लगाकर भेज दिया कि हमने चरण सिंह को पच्चीस हजार या पचास हजार रुपये रिश्वत दी है। उस पर राजाराम किसान का नाम लिख दिया। हमारे यहां वह गांव भी था और उस गांव में उस नाम का आदमी भी था। उन्होंने लिख दिया पच्चीस हजार रुपये हमने दिये हैं। फिर उसके पीछे भी राजनीतिज्ञ थे, अब म नाम नहीं लेना चाहता। मुझे ज्यादा तजुर्बा नही था। मैंने नालिश कर दी, एस.डी.एम. या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरठ के यहां पेशी हुई। जो दोषी थे उन्होंने अर्जी दे दी कि ये पेशी यहां नहीं होनी चाहिए, दूसरे जिले में होनो चाहिए। फिर ये केस सहारनपुर के मजिस्ट्रेट के यहां चला गया। जब वह मामला पेश हुआ तो उस किसान ने कह दिया कि ये मेरे दस्तखत ही नहीं हैं, मैंने नहीं भेजे। फिर तो मुकदमा खारिज ही हो गया, बिल्कुल झूठी बात थी। इसकी एक कापी सरदार पटेल के पास भी भेज दी थी। मैं गालिबन सरदार से मिलने के लिए सहारनपुर से देहरादून चला गया। अब बातों–बातों में उन्होंने पूछा कि कैसे हो, तो मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। उन्हाने कहा, ''हॉ आयी तो थी एक शिकायत।'' तब उन्होंने पूछा कि तुमने क्या किया? तो मैंने कहा कि मैन नालिश की और उस किसान ने अपने दस्तखत मानने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुमने गलती की, तुम पहले उसको नोटिस देते कि क्या तुमने मेरे खिलाफ ''चार्ज'' पर दस्तखत किये हैं। जब वह इंकार करता, ता प्रेस में एक स्टेटमेंट निकाल देते। इस तरह परेशानी से बच जाते। उनकी बात बिल्कुल ठीक थी।

लार्ड माउंटबेटन 20 जून को भारत से गया तो माउंटबेटन को विदाई देने के लिए वह दिल्ली नहीं आये। जब वह यहां से चला गया तब 20 या 21 जून को दिल्ली आये। नहरू साहब उसके मशवरे मानते थे। उससे कश्मीर और हैदराबाद के सब मामले उलझे। सरदार उन सब बातों के खिलाफ थे। अगर सरदार प्रधानमंत्री हो जाते, तो देश की नीति . ....।

मनचन्दा : *आप डा0 सम्पूर्णानन्द के बारे में कुछ बताइए, एक प्रशासक और एक हिन्दू समाजवादी नेता के रूप में उनकी क्या भूमिका थी ?*

चरण सिंह : जहां तक समाजवादी होने की बात है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ''सब–टेनन्ट'' को अधिकार देने का उन्होंने विरोध किया। यह तो मेरा निजी अनुभव है। मैं पुराने जमींदारों को या ''टेनेंट्स–इन–चीफ'' को ''राइट ऑफ रिजॅम्पशन'' नहीं देना चाहता था। पर वह उसके भी हक में थे। दूसरो बात जो उनके मुत्तअल्लिक मेरे दिमाग में आती है वह यह है कि जातिवाद में उनका पूरा विश्वास था। मैं तो यह समझता हूँ कि जातिवाद ने देश को जितनी हानि पहुंचाई है, उतनी किसी चीज ने नहीं पहुंचाई। हमारी राजनीतिक पराधीनता, जो हजारों वर्ष से रही, उसका मुख्य कारण यही है कि हम विदेशियों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और करोड़ों आदमी हमारा धर्म छोड़कर चले गये। कुछ तो दूसरे मजहब की अच्छी फिलॉसफी समझ कर गय होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अन्याय से तंग आकर गये। हमने उन्हें धक्का दिया है। यह तो जातिवाद का ही नतीजा है।

मेरा अपना ख्याल यह है कि जो पाकिस्तान बना है, इसमें भी पचास प्रतिशत जातिवाद का ही हाथ है। मुस्लिम लीग के नेताओं के भाषण में यही होता था कि यह

(हिन्दू) अपने भाइयों के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं करते, तो जब अंग्रेज चले जायेंगे, तो हमारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे ? हम तो दूसरा धर्म मानने वाले हैं। जितनी ग्राम पंचायतें हैं, चाहे म्युनिसिपैलिटी हैं, असेम्बली हैं, उन सब में जातिवाद का असर है। योग्यता का तो सवाल ही नहीं रह गया है। आर्यसमाजी होने के नाते भी और वैसे भी, मैं तो जातिवाद के हमशा खिलाफ रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि जातिवाद को समाप्त करने के लिए हम कदम उठायें। इसका सम्पूर्णानन्द जी ने बड़ा विरोध किया मसलन– मैंने कहा कि उच्च सरकारी पदों के लिए जो उम्मीदवार अन्तजातीय विवाह करें उन्हें वरीयता दी जाये हमारे यहां सत्रह हजार ''गजेटेड'' अफसर हैं, ''सर्विसिस'' की तादाद साढ़े पांच लाख है। सत्रह हजार में मुश्किल से सौ–दो सौ आदमी हर साल ''गजेटेड सर्विसिस'' में आते होंगे। यूनिवर्सिटियों में जाकर देखिये, उन लड़कों को अन्तर्जातीय विवाह में कोई एतराज नहीं है। यहां तक कि लड़कियों तक को नहीं है।

मैंने 1954 में नेहरू जी को तीन–चार सफे का खत लिखा कि आदमी में तीन ही चीजें मुख्य हैं– हाथ, दिल और दिमाग। जब हम सरकारी नौकरी के लिए किसी आदमी का चुनाव करत हैं, तो उसके दिमाग का भी इम्तहान हो जाता है, उसकी बुद्धि का भी इम्तहान हो जाता है, पढ़ाई का और शैक्षणिक योग्यता का भी, फिर प्रतियोगिता और उसके बाद मेडिकल परीक्षण भी होता है कि इतना सीना हो, कोई बीमारी न हो, ऊंचाई वगैरह–वगैरह, लेकिन दिल का क्या इम्तहान है ? दिल का परीक्षण ज्यादा जरूरी है। उसी से ईमानदार और बेईमान का पता चलता है और दिल से यह सब तय होता है। एक आदमी बड़ा भारी विद्वान है, वह बेईमान भी हो सकता है और दूसरा आदमी अनपढ़ है फिर भी वह ईमानदार और जिम्मेदार हो सकता है। इन लोगों को आप प्रशासन की जिम्मेदारी दे रहे हैं।

हमारे समाज में जो सबसे बड़ा नुकता है, वह जातिवाद का है। अगर एक प्रशासक पक्षपाती हो तो वह इसके लिए योग्य नहीं है। आज हमारे समाज में जातिवाद ही दिलों को तंग करने का सबसे बड़ा कारण है। यह सहानुभूति को एक सीमा में बांध देता है। वह आगे चल कर सबकी एक दृष्टि स सेवा करेगा, इसका क्या सुबूत है ? मेरे ख्याल से इसका सुबूत यही है कि वह लड़का अगर कहे कि दो सौ सैतीस बिरादरियों में से वह अपनी बिरादरी छोड़कर किसी में भी शादी करने को तैयार है, तभी उसे नौकरी में आने का मौका दिया जाए। मैंने नेहरू जी से कहा कि यह कर दीजिए। इसी वजह से सब समस्याए यहां पैदा हुई हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो ये देश कभी संगठित नहीं होगा। मैंने कहा आप के पास ''पावर'' है, आप लोकप्रिय हैं, तो सविधान में एक संशोधन करा दीजिए। मैंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय एकता को भंग करने वाली तीन बातें हैं– धर्म, भाषा और जातिवाद। धर्म के लिए तो कुछ हो नहीं सकता, उसकी वजह से तो हमने कीमत चुका दी, दश तकसीम हो गया। अब रह गई भाषा और जाति, तो मैंने कहा कि ''स्टेट सर्विसिस'' के लिए तो बिरादरी के बाहर विवाह की बात जरूरी कर दीजिए और आल इंडिया सर्विसिस के लिए ''इंटरलिंस्टिक ग्रुप'' में विवाह करना लाजमी कर दिया जाए। मान लो अगर लड़का तमिल हो तो वह तमिल बोलने वाली लड़की से शादी नहीं करेगा, तेलगु से कर ले, पंजाबी से कर ले या बंगाली से कर ले। मैंने उनको लिखा कि इससे मुल्क बंध जायेगा और यह एकता लाने में बड़ो भारी बात साबित होगी। ये ही लोग समाज में बड़े लोग माने जाते हैं।

मैंने तो विधायकों के लिए भी लिखा था कि जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो और इसके बाद शादी करे, वह अपनी बिरादरो में शादी नहीं कर सकेगा। लकिन नेहरू जी ने

लिखा कि आप बात ता ठीक कहते हो लेकिन यह बहुत ही निजी मामला है। ठीक है कि शादी बिल्कुल निजी बात है लेकिन आज भी तो उस पर बंधन लगा रखे हैं, बताइये कि अगर चौदह वर्ष की लड़की से कोई शादी करना चाहे तो क्या कर सकता है। क्या हिन्दू ''फर्स्ट कजन'' से शादी कर सकते हैं।

हमारे यहां तो मॉ की तरफ से सात पीढ़ियां और बाप की तरफ से भी सात पोढ़ियां छोड़ कर शादी होती है। हम लोगों ने अब यह कर लिया कि कहीं पीढ़ियां गिनने में गलती न हो जाए, मॉ–बाप का गोत्र छोड़कर शादी करते हैं। अगर हम बिना छोड़े शादी करें, तो शादी गैर–कानूनी है। मतलब यह है कि आज भी तो यह प्रतिबंध है। हम ऐसा हर एक के लिए तो नहीं कर रहे हैं कि भई सभी ऐसी शादी करें, यह तो उनके लिए कर रहे हैं जो जनसेवा के लिए आगे आते हैं। हम हर एक को कहां कहते हैं कि बी. ए. पास होना चाहिए, लेकिन जो पी.सी.एस. में जाना चाहेगा, उसे तो बी.ए. पास होना चाहिए। आप पांच फुट दो इंच रहें, लेकिन अगर आप पुलिस में जायेंगे तो पांच फुट छह इंच होना चाहिए। इसी तरह आप सह अपनी बिरादरी मे शादी कीजिए, यदि आपका ''पर्सनल लॉ'' इजाजत देता है, हमें कोई मतलब नहीं है; लेकिन अगर आप जनसेवा में आना चाहें, तो उसका .... सुबूत देना पड़ेगा। मेरे पास नोट्स हैं, जो मैंने पन्त जी को और सब को लिखे।

मनचन्दा : *सम्पूर्णानन्द जी को ?*

चरण सिंह : सम्पूर्णानन्द जी को तो नहीं लिखे, वह तो शिक्षा मंत्री थे। मैंने उनसे कहा कि चलिए अगर ये बड़ा मुश्किल है, तो इतना ही कर दीजिए कि कम से कम शिक्षण संस्थाओं में, जहां पर बिरादरियो का नाम जुड़ा हुआ है, उनके लिए आदेश दे दीजिए कि ऐसी संस्थाओं को सरकार आर्थिक सहायता नहीं दगी।

मनचन्दा : *जैसे जाट कालेज या ब्राह्मण कालेज या वैश्य कालेज हुआ ?*

चरण सिंह : हॉ, क्योंकि इससे बच्चों के दिमाग में वही जातिवाद का जहर आ जाता है, लेकिन इस पर भी सम्पूर्णानन्द सहमत नहीं हुए।

मनचन्दा : *एक तरफ तो वे समाजवादी थे और दूसरी तरफ ये सब कर रहे थे, तो आप ये विरोधाभास किस तरह ''रिकन्साइल'' करेंगे ?*

चरण सिंह : मेरे पास लिखित सुबूत हैं। अब ये परमात्मा ही जाने कैसे करते थे, उन्हीं से पूछो। बहुत सी बातें हैं। कहां तक आपको सुनाऊॅ। वह एक अच्छे प्रशासक नहीं थे।

मनचन्दा : *लेकिन पन्त जी के जाने के बाद सम्पूर्णानन्द जी मुख्यमंत्री बने, उस संघर्ष के बारे में आपके क्या ख्याल हैं ?*

चरण सिंह : उस वक्त अगर टण्डन जी आ जाते तो .....अब क्या कहें टण्डन जी वैसे आदमी नहीं थे। हम चाहते थे कि टण्डन जी आ जाएं, पर वह आये ही नहीं। अगर वह एक दिन पहले भी यहां आ जाते और कह देते कि मैं मुख्यमंत्री बनना मंजूर करता हूँ तो मैं समझता कि ...। वह इतने अच्छे प्रशासक बेशक नहीं होते, लेकिन उनका इरादा अच्छा करने का होता।

काम में देर चाहे होती लेकिन असेम्बली में अपना कोई अच्छा सा डिप्टी रख लेते और किसी को काम दे देते।

मनचन्दा : *सम्पूर्णानन्द जी के बारे में मैंने सुना है कि वह ''ब्यूरोक्रेट्स'' से या अपने जूनियर से काम लेना नहीं जानते थे?*

चरण सिंह : हॉ, वह नहीं जानते थे। उन्हें आदमियों की पहचान नहीं थी। मैंने जमींदारी उन्मूलन का काम किया, अब मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए कि वह हिन्दुस्तान में एक नम्बर का काम था। दूसरे राज्यों के मंत्री यहां काम देखने आये। गोपीनाथ, जो बाद में असम के मुख्यमंत्री हो गये, वह भी यह काम देखने आये थे।

मनचन्दा : *हॉ, वह अपने नाम के साथ बारदोलाई लगाते थे ?*

चरण सिंह : हॉ, वह यहां आये। मैंने उनसे कहा कि आप कानपुर डिस्ट्रिक्ट में काम देख आइये, वहां ''कन्सॉलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स'' चल रहा है। जब वह वहां गये तो वहां खबर हो गई कि मैं आ रहा हूॅ। वहां बीस हजार आदमी इकट्ठा हो गये। अब वह यह देखकर भौचक्के रह गये। वहां अफसरों ने बताया कि यहां खबर यह थी कि हमारे ''रेवेन्यू मिनिस्टर'' आ रहे हैं, आप आये हैं, बड़ी अच्छी बात है। वह जब वापस आये तो उन्होंने बताया कि आपके यहां तो यह हाल था। मैंने कहा मैंने जो कुछ भी किया है वह गांव तक ले गया हूँ, इतनी योग्यताएं बनाइ हैं, इतना काम हुआ है और मैंने गांव–गांव में अलख जगा दिया है।

जिस वक्त पंत जी चले गये, तो सम्पूर्णानन्द जी ने मुझसे कहा कि तुम ''रेवन्यू डिपार्टमेंट'' छोड़ दो। ''रेवेन्यू'' और एग्रीकल्चर'' दोनों मेरे पास थे। मैंने कहा कि ''रेवेन्यू'' तो नही छोडूंगा, ''एग्रीकल्चर'' छुड़वा लीजिए। कोई आदमी जो कैबीनेट में आठ साल मंत्री रह चुका है और उसको यह पता न हो कि किसने क्या किया है? ''रेवेन्यू'' क्या है और ''एग्रीकल्चर'' क्या है ? इस आदमी ने यहां क्या सामाजिक क्रांति करवा दी ? मेरा माथा ठनका कि अब सरकार अच्छी चलने वाली नहीं है। उन्हें प्रशासन का कुछ नहीं मालूम था। अगर उस वक्त मुखालिफ से भी पूछते कि ''रेवेन्यू मिनिस्टर'' कौन होना चाहिए ता वे भी कहते कि चरण सिंह। कभी–कभी क्या होता था कि मेरा समय ''डिवेट'' में खत्म हो गया और अभी बोल रहा हूँ, तो मेरे मुखालिफों ने भी कहा कि दो घंटे समय बढ़ना चाहिए, हम चरण सिंह को सुनना चाहते हैं। लेकिन सम्पूर्णानन्द जी ने मुझे कहा कि ''रेवेन्यू'' छोड़ दो। मैं सभाओं में पांच–पांच घंटे बोला हूँ।

मनचन्दा : *अपने विषय पर तो आपका ''होल्ड'' था न।*

चरण सिंह : अब रेवेन्यू जो इतना ''ड्राई'' विषय है, उसको मैंने इतना रुचिकर बना दिया था कि लोग उठकर नहीं जाना चाहते थे। ठीक है सम्पूर्णानन्द विद्वान थे, इसमें कोई शक नहीं, भले आदमी थे, लेकिन प्रशासन में तो.....।

मनचन्दा : *चौधरी साहब, एक जात्ती सवाल है– आम तौर पर यह कहा जाता है कि आप जाट इलाके से आते हैं और आप जाटों के ही नेता हैं, तो जाटों के लिए आपके दिल में कुछ ज्यादा प्यार ओर मोहब्बत है, बनिस्पत दूसरी जातियों के, इसके बारे में आप कुछ बतायेंगे ?*

चरण सिंह : मुझ पर यह बहुत गलत चार्ज है और इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। मेर ऊपर जो लोग यह चार्ज लगाते हैं, वे मुझे यह तो कह नहीं सकते कि मैं बेईमान हूॅ, नाकाबिल हूॅ या मैंने कुछ काम नही किया। लेकिन मेरा उनसे मतभेद है, तो उनको लगता है कि उनका ''इन्ट्रेस्ट'' मैं ''सर्व'' नहीं करता। अब अपना कसर् तो कोई बताता नहीं है, ''प्राइवेट लाइफ'' में ही नहीं बताता तो ''पब्लिक लाइफ'' में तो बिल्कुल नहीं बताता। लिहाजा उन्हें मेरा कोई कसूर तो निकालना ही है और हिन्दू समाज में ये जातिवाद का चार्ज ऐसा है, जिस पर बिना तहकीकात के दूसरा फौरन यकीन कर लेगा। इसके पीछे चाल है। अब मैं आपको कुछ ''फिगर्स'' बताता हूॅ। मसलन यह कहा जाता है कि बी.के.डी. (भारतीय क्रांति दल) जाटों का दल है। हमारी साठ संस्थाए हैं शहरों और जिलों में। चौव्वन जिले हैं, सोलह शहर हैं– लेकिन हमने पहाड़ के जो जिले हैं, वहां संस्थाएं नहीं बनाईं, वहां मेरा जाना नहीं हुआ। कांग्रेस के सत्तर शहर और जिला संगठन हैं। साठ में तीन के अध्यक्ष जाट हैं। उनके यहां सत्तर में उन्तीस ब्राह्मण हैं और मेरे यहां तो सबसे ज्यादा यानी सोलह ब्राह्मण हैं, तेरह ठाकुर हैं, आठ अहीर हैं और बिरादरियों को छोड़ देते हैं; अगर साठ में तीन जाट हैं, तो संगठन जाट; और सत्तर ब्राह्मण में उन्तीस ब्राह्ण हैं तो वह ब्राह्मण संगठन नहीं है।

अब दूसरी बात लीजिए– हमारा जो कांग्रेस के साथ गठबंधन था, उसमें चादह कैबिनेट और स्टेट मंत्री थे, मुझे मिलाकर दो जाट थे। बाद में त्रिलोकी सिंह की सरकार बनी तो ग्यारह मिनिस्टर हुए, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मंत्री थे, उनमें एक जाट था, यानी ग्यारह में एक जाट था। कांग्रेस की मिनिस्ट्री में तीन स्टेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री थे तो तीस में तेरह ब्राह्मण हैं, वह ब्राह्मणों का पक्ष नहीं करते और चौदह में दो या ग्यारह में एक जाट हो जाए तो मैं जाटों का पक्ष लेता हूँ। मेरठ डिवीजन में तीन जिले हैं जहां जाटों की आबादी है– मेरठ, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर। मेरठ में बारह प्रतिशत जाट, सात प्रतिशत ब्राह्मण, पांच प्रतिशत राजपूत, पांच प्रतिशत गूजर और तीन प्रतिशत त्यागी हैं। त्यागियों की सबसे कम सख्या है। बारह प्रतिशत जाटों में मुझे मिलाकर दो टिकट दिये, सात प्रतिशत ब्राह्मण को दो दिये, पांच प्रतिशत गूजरों का दो दिये, तीन प्रतिशत त्यागियों को एक दिया।

मनचन्दा : *यह कांग्रेस के वक्त की बात थी ?*

चरण सिंह : नहीं, उस वक्त तो मेरे हाथ में देना ही नहीं था। ये तो अब की बात है। मजफ्फरनगर की बात लीजिए। ग्यारह प्रतिशत जाट और साढ़े चार प्रतिशत ब्राह्मण, पौने चार प्रतिशत गूजर, पौने चार प्रतिशत ठाकुर और पौने दो प्रतिशत त्यागी। सन् 1931 की ''सेंसस'' में बिरादरियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है : मुजफ्फरनगर में कोई नौ लाख की या नौ लाख से कम आबादी थी। उसमें उस वक्त छियानबे हजार जाट, इकतालिस हजार ब्राह्मण, सैंतीस हजार गूजर, सैंतीस हजार राजपूत, पन्द्रह हजार त्यागी और छियानब हजार जाट थे। इकतालिस हजार ब्राह्मणों को एक टिकट, तैंतीस हजार गूजरों को एक टिकट, तैंतीस हजार राजप्तों को एक टिकट और पन्द्रह हजार त्यागियों को एक टिकट। कांग्रेस में हमेशा जाट को दो टिकट मिलते रहे। ब्राह्मण को कभी टिकट नहीं मिला। लेकिन मैंने एक जाट को, एक ब्राह्मण को टिकट दिया। मैं दो जिलों की आपको बताता हूॅ। सारा प्रशासन ब्राह्मण के हाथ में है। मुझे किसी बिरादरी के अफसर से शिकायत भी नहीं है, कुछ को छोड़कर। ये राजनीतिज्ञ ही सब ऐसी बातें अपने मन में लाते हैं और गढ़ते हैं। और यहां शिक्षित लोग हैं, वे जानते हैं कि जाति से ''मोटीवेट'' नहीं होना चाहिए।

अब मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, जब मैं बिरादरी का नाम आपसे ले रहा हूँ लेकिन जो तथ्य हैं वह लोगों के सामने आने चाहिए। यहां सैंतालिस प्रतिशत आई.पी.एस. ब्राह्मण हैं, और चालीस प्रतिशत डी.आई.एस.पी. और एक तिहाई पी.सी.एस. और एक तिहाई आई.ए.एस. ब्राह्मण आये हैं। व अपनी योग्यता से आयें हैं, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर दो प्रतिशत जाट हैं और वे भी पहल के आये हुए हैं, तो उनमें से अगर कोई कमिश्नर हो गया, कलेक्टर हो गया या अगर किसी जाट अफसर का ''प्रमोशन'' हुआ, तो शोर मच गया। चौव्वन जिलों में एक अफसर ''प्रमोट'' होकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ और मैंने उसकी एटा में ''पोस्टिंग'' कर दी। मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, तो वहां के कांग्रेस वाला ने कहा कि सब जाट भर्ती कर दिये। इधर पूर्व में कहते हैं कि अहीरों की पार्टी है। अहीर ब्राह्मण के करीब–करीब बराबर हैं। हरिजनों के बाद हमारे यहां सबसे बड़ी बिरादरी ब्राह्मणों की है। फिर अहीर हैं, लेकिन ये बेचारे बड़े दबे हुए हैं। उनको जमींदारी उन्मूलन से बहुत फायदा हुआ है। शिक्षा बेशक उनके पास कम है। अब 1937 से 1967 तक किसी अहीर को मंत्री नहीं बनाया था। मैंने 1967 में सबसे पहले एक अहीर को मंत्री बनाया। अहीरों के बाद ठाकुर हैं, ठाकुरों को कोई शिकायत नहीं, वे हर जगह नौकरी में, राजनीतिक जीवन में ठीक हैं। उनके बाद कुर्मी आते हैं। उनकी भी बहुत बड़ी बिरादरी है, कभी कुर्मी मंत्री नहीं बना था, तो मैंने एक कुर्मी को मंत्री बनाया। एक अंसारी को बनाया। जो मुस्लिम जुलाहा हैं, वह कभी नहीं बना था, उसे उपमंत्री बनाया। पासी हरिजना में एक बड़ी भारी बिरादरी है– चमार के बाद पासी हैं। ये बड़े बहादुर होते हैं। लेकिन गरीब हैं, मैंने पासी को मिनिस्टर बनाया। मैंने कानपुर के मनोहर लाल को, जो एक केवट यानी मल्लाह था, ''स्टेट मिनिस्टर'' बनाया। वह एम.ए. था। एक अहीर को ''मेम्बर, पब्लिक सर्विस कमीशन'' बनाया। अब यह कहा जाता है कि मैं जातिवाद को बढा रहा हूँ। अब दो या तीन बिरादरियों की अगर हर जगह ''मोनोपली'' हो, तो बताइये क्या वह जनतंत्र है ? क्या उनके साथ न्याय हो रहा है ? अगर योग्य लोग हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए मेरे ऊपर यही चार्ज लग रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैंने जवहरलाल जी को पत्र लिखा था कि जातिवाद मिटाने का यही रास्ता है और वह तैयार नहीं हुए। एक भी मुख्यमंत्री तैयार नहीं हुआ। पंतजी, सम्पूर्णानन्द जो, सी.बी. गुप्ता जी भी तैयार नहीं हुए, कोई तैयार नहीं हुआ। जब मैं 3 अप्रैल 1967 को मुख्यमत्री बना तो मैंने पहला काम यह किया कि 6 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग की। मैंने पहले से चीफ सेक्रेटरी को कह दिया था कि इस सिलसिले में एक नोट ले आना कि हम शैक्षणिक संस्थाओं के नाम से बिरादरी का नाम हटाना चाहते है। वह ले आये, उसमें सबसे पहले हमने यह किया कि 30 जून 1967 तक जो संस्थाएं बिरादरी का नाम नहीं हटायेंगी, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता नहीं देगी। लिहाजा सबने नाम बदल दिये। जिस आदमी का यह दृष्टिकोण रहा है वह तो जातिवाद का समर्थक और जो लोग जातिवाद को प्रोत्साहन देते हों, वे यह चार्ज लगाएं तो यह मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ? जब ये लोग बिरादरी के नाम पर लोगों को सजा दे रहे हैं, ''रिवर्ट'' कर देते हैं, ''ट्रांसफर'' कर देते हैं, ''प्रमोशन'' नहीं देते। अब यह भी हो गया है कि अगर कोई जाट चाहे छोटे से छोटा अफसर हो पर जो बी.के.डी. से जुड़ा है, तो उसका फट से तबादला या इन्क्वायरी हो जाती है। अब मैं इस बात को दावे से कहता हूँ कि मुझे बतला दिया जाए कि मैंने बिरादरी के नाम पर किसी अफसर का ट्रांसफर तक किया हो। मेरठ सबसे बडा जिला है। मेरी तहसील में दो सब–इन्सपेक्टर जाट हैं, तीन सब–इंसपेक्टर ब्राह्मण हैं, कुल पांच थाने हैं, इन तीनों के बारे में मुझसे एक आदमी ने कहा कि तीनों ब्राह्मण हैं, एक खेकड़ा का है, एक बागपत का है,एक बड़ोतरी का है। मैंने कहा काम कैसा कर रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा उन्हें वहीं रहने दो। अब जाटों में जा पढ़े–लिखे लोग हैं, उनमें यह भावना आ गई कि चौधरी साहब की वजह से हम मारे

जा रहे हैं। उन्हें खराब दृष्टि से देखा जाता है, उनका ''प्रमोशन'' नही होता, उनको सजा दी जाती है।

एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात सुनाता हूँ, मुझे यह बात एक कांग्रेसी ने सुनाई थी, वह जाट था और एम.पी. का टिकट कांग्रेस से चाह रहा था, वह उसको मिला नहीं। उसन बताया कि एक तहसील के नायब तहसीलदार का तबादला हो गया। तहसीलदार उस नायब तहसीलदार से खुश था और वहां की जनता भी बहुत खुश थी, लेकिन कुछ कांग्रेसियों ने उसका तबादला करा दिया। अब किसने कराया, यह तो मुझे याद नहीं लेकिन उस कांग्रेसी ने मुझे बतलाया कि मैंने यह कोशिश की कि उसका तबादला रुक जाए। ''आर्डर'' हो गया था। नायब तहसीलदारों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में कमिश्नर करता है, तो वह कमिश्नर के पास गये, कमिश्नर ने आर्डर रोक दिया, उसने कहा कि उस नायब तहसीलदार को फिर वहीं भेज दिया जायेगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं माना। वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गये और उसने अध्यक्ष कांग्रेस मंडल कमेटी के नाम लिख दिया। वह वहां गये, उनसे कहा कि कमिश्नर साहब ने तबादला ''कैंसिल'' कर दिया है, आपने उसकी ''पोस्टिंग'' क्यों नहीं की ? वह बोले वह तो जाटों का इलाका है और वह जाट है। उन्होंने कहा जाट है तो क्या बात है। अगर यह कानून हो तब तो ठीक है, सब जगह लगाइये। जब उस नायब तहसीलदार का काम अच्छा है, ईमानदारी का है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, अभी थोड़े दिन हुए आया है, लेकिन वह नहीं माने। उसने,कांग्रेस नेता ने कहा, साहब मैं तो ऐसे ही बहस कर रहा था, वह यादव अहीर है, अपने नाम के साथ यादव नहीं लिखता है। उस बात पर भी वह नहीं माने, उन्होंने कहा वह तो एक ही बात हुई। इनके बहुत कहने पर उन्होंने कहा कि मैं आपका ही तो काम कर रहा हूँ। हम कांग्रेस वाले चाहते हैं कि जाट, अहीर को सजा दी जाए या उनके साथ बराबरी का बर्ताव या इंसाफ न किया जाए। अन्त में उस आदमी का तबादला शहर में कर दिया। यह हाल है। ऐसी हजारों मिसालें हैं। अगर आप दो दिन ''स्पेयर'' कर सको तो मेरे साथ आजमगढ़ चलो, वहां एक भी जाट नहीं है लेकिन आप देखेंगे कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। किस तरह से वे हजारों की तादाद में आयेंगे, पचास–पचास हजार की तादाद में। मैं तो अब सत्ता में नहीं हूँ और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। वहां उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं मदद नहीं कर सकता और वहां जाट एक भी नहीं है। तो किन वजहों से जनता मेरे साथ है, अब मैं बतलाना नहीं चाहता हूँ।

———————